2024

प्रश्न : समझाइये कि नार्को-आतंकवाद संपूर्ण देश में किस प्रकार एक गंभीर खतरे के रूप में उभरकर आया है। नार्को-आतंकवाद से निपटने के लिये समुचित उपायों पर सुझाव दीजिये। (150 शब्द , 10 अंक)

Explain how narco-terrosrism has emerged as a serious threat across the country. Suggest suitable measures to counter narco-terrorism.

उत्तर: नार्को-आतंकवाद राज्यों, विद्रोहियों या आपराधिक नेटवर्क द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये संगठित अपराध का उपयोग है। नार्को-आतंकवाद तेज़ी से स्वर्णिम अर्द्धचंद्र (Golden Crescent) और स्वर्णिम त्रिभुज (Golden Triangle) के नशीले पदार्थों के उत्पादक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है।

- **नार्को-आतंकवाद एक खतरा:** यह हिंसा और संगठित अपराध का दोहरा खतरा उत्पन्न करता है, राष्ट्रों को अस्थिर करता है, संस्थाओं को भ्रष्ट करता है तथा वैश्विक स्तर पर विद्रोहों, कार्टेलो और चरमपंथी नेटवर्कों को वित्तपोषित करके सुरक्षा संकट को बढ़ावा देता है।
  - भारत के पूर्वोत्तर राज्य, पंजाब और जम्मू-कश्मीर प्रमुख भारतीय राज्य हैं जो नार्को-आतंकवाद से पीड़ित हैं।
  - भारत में, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क आतंकवाद को वित्तपोषित करने के लिये, विशेष रूप से अफगानिस्तान और म्याँमार के साथ लगी खुली सीमाओं का फायदा उठाते हैं।
- **नार्को-आतंकवाद का मुकाबला करने के उपाय:**
  - **उन्नत सीमा निगरानी:** नशीली दवाओं की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिये ड्रोन, उपग्रह इमेजरी और एआई-आधारित निगरानी प्रणालियों जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके सीमा सुरक्षा को मज़बूत करना।
  - **वित्तीय निगरानी:** मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवादी वित्तपोषण का पता लगाने और उसे रोकने के लिये मज़बूत वित्तीय खुफिया तंत्र को स्थापित करना।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** वैश्विक नार्को- आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करने के लिये यूएनओडीसी (UNODC) और इंटरपोल जैसे संगठनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मज़बूत करना।
  - **कानूनी सुधार:** मादक पदार्थों के तस्करों और आतंकवाद को वित्तपोषित करने वालों के खिलाफ सख्त सज़ा के लिये कानूनों को मज़बूत करना।

निष्कर्ष: नार्को-आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 जैसे सख्त धन शोधन विरोधी उपायों को लागू करना महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को संबोधित करना, वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देना एवं शिक्षा में निवेश करना नशीली दवाओं की तस्करी तथा आतंकवाद की अपील को कम करने में सहायता कर सकता है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

प्रश्न : डिजिटल व्यक्ति डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के संदर्भ तथा प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिये। (150 शब्द , 10 अंक)

Describe the context and salient features of the Digital Personal Data Protection Act, 2023

उत्तर: डिजिटल प्रौद्योगिकी के तेज़ी से विकास और डाटा-संचालित सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता के बीच, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भारत के डाटा गोपनीयता परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

प्रसंग

- **तीव्र डिजिटलीकरण:** वर्ष 2023 तक इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या 750 मिलियन से अधिक हो जाएगी।
- **डाटा उल्लंघन में वृद्धि:** वर्ष 2021 में एयर इंडिया डाटा उल्लंघन, व्यक्तिगत सूचनाओं/जानकारी से समझौता करने वाली घटनाओं में वृद्धि का एक उदाहरण है।
- **वैश्विक डाटा संरक्षण रुझान:** यूरोपीय संघ के सामान्य डाटा संरक्षण विनियमन जैसे अंतर्राष्ट्रीय विनियम।
- **व्यापक कानून का अभाव:** पूर्ववर्ती IT अधिनियम, 2000 पर अत्यधिक निर्भरता।
- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना:** सबसे बड़ी बायोमेट्रिक ID प्रणाली आधार (Aadhaar) जैसी प्रणालियाँ।

मुख्य विशेषताएँ

- **प्रयोज्यता:** यह भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश करते समय भारत और विदेशों में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा के प्रसंस्करण पर लागू होता है।
  - व्यक्तिगत डाटा प्रसंस्करण के लिये व्यक्तिगत सहमति की आवश्यकता होती है, साथ ही डाटा संग्रहण उद्देश्यों के संदर्भ में स्पष्ट सूचना भी दी जाती है।
- **डाटा प्रिंसिपल के अधिकार:** व्यक्ति डाटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सुधार की मांग कर सकते हैं।
- **डाटा फिड्युशरीज के दायित्व:** डाटा फिड्युशरीज को डाटा की सटीकता सुनिश्चित करनी चाहिये और उद्देश्य पूरा होने के बाद डाटा को हटा/एरेज भी कर देना चाहिये।

- **छूट:** कुछ अधिकार और दायित्व अपराध की रोकथाम या राज्य सुरक्षा के लिये सरकारी गतिविधियों जैसे मामलों पर लागू नहीं होते हैं।
- **भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड:** एक नियामक निकाय अनुपालन की निगरानी करता है, दंड का प्रावधान करता है और शिकायतों का निवारण करता है।

निष्कर्ष: डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भारत के डाटा संरक्षण परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जो व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों, डिजिटल लोकतंत्र को उन्नत डिजिटल जाँच और राष्ट्रीय हितों की आवश्यकताओं के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है।

प्रश्न: भारत की चीन एवं पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालिक अशांत सीमा है जिसमें अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं। सीमा के साथ परस्पर-विरोधी मुद्दों तथा सुरक्षा-चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) तथा सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (बी.आइ.एम.) योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में किये जाने वाले विकास-कार्यों को भी उल्लिखित कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

India has a long and trobled border with China and pakistan fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues and security challenges along the border. Also give out the development Programme (BADP) and Border Infrastructure and management (BM) Scheme.

उत्तर: चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाएँ ऐतिहासिक विवादों तथा सतत् सुरक्षा चुनौतियों से भरी हुई हैं।

- **चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा:** भारत-चीन सीमा, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 3,440 किलोमीटर तक फैली हुई है। पश्चिमी मोर्चे पर, भारत-पाकिस्तान सीमा जिसे नियंत्रण रेखा (LOC) के नाम से जाना जाता है, लगभग 740 किलोमीटर तक फैली हुई है।

परस्पर विरोधी मुद्दे और सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ

- **चीनी मोर्चा:** चीन के साथ मुख्य मुद्दा सीमा का अस्पष्टीकरण है, जिसके कारण प्राय: टकराव और झड़पें देखने को मिलते हैं। महत्त्वपूर्ण घटनाओं में वर्ष 2020 में गलवान घाटी संघर्ष, वर्ष 2017 में डोकलाम सैन्य गतिरोध शामिल हैं। LAC पर बुनियादी ढाँचे के निर्माण की होड़ तनाव को और बढ़ा देती है।
  - इन भारत-चीन सीमा चौकियों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपभोक्ता चीनी वस्तुओं की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है।
- **पाकिस्तान मोर्चा:** पाकिस्तान के साथ समस्या यह है कि वह प्राय: एलओसी का उल्लंघन करता है, सीमा पार से गोलाबारी करता है और आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश करता है। वर्ष 2019 का पुलवामा हमला और उसके बाद बालाकोट हवाई हमला इस अस्थिर स्थिति के हालिया उदाहरण हैं।
  - पाकिस्तान का दावा है कि संपूर्ण सर क्रीक क्षेत्र, जिसमें वर्ष 1914 के मानचित्र में "हरी रेखा" से चिह्नित उसका पूर्वी तट भी शामिल है, उनका है।
- **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.):**
  - बी.ए.डी.पी. का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विकास करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
  - परियोजनाओं में सड़कें, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएँ निर्मित करना, सुरक्षा तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना शामिल है।
  - हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में सांगला से होकर 40 किलोमीटर लंबे करछम- चितकुल मार्ग का विकास किया गया, जो चीन के साथ सीमा साझा करता है।
- **सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन (बी.आई.एम.) योजना:** यह पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान और म्याँमार के साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिये सीमा बाड़, सीमा फ्लड लाइट, तकनीकी समाधान, सीमा सड़कें और सीमा चौकियाँ (BOPs) तथा कंपनी संचालन अड्डों जैसे बुनियादी ढाँचे के निर्माण में सहायता करता है।
  - भारत की योजना भारत-बाँग्लादेश सीमा पर 383 और भारत-पाकिस्तान सीमा पर 126 समग्र सीमा चौकियाँ बनाने की है।

निष्कर्ष: बी.ए.डी.पी. और बी.आई.एम. जैसी पहलों के माध्यम से भारत न केवल सीमा सुरक्षा में वृद्धि कर रहा है, बल्कि इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य सीमा प्रबंधन के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है।

प्रश्न: सोशल मीडिया एवं 'को गोपित' (एन्क्रिप्टिंग) संदेश सेवाएँ गंभीर चुनौती हैं। सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए हैं? इस समस्या को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों का भी सुझाव दीजिये। **(250 शब्द, 15 अंक)**

Social media and encrypting messaging services pase a serious security challenge. What measures have been adopted at varous levels to address the security implications of social media? Also suggest any other remedies to address the problem.

उत्तर: सोशल मीडिया एवं 'को गोपित' (एन्क्रिप्टिंग) संदेश सेवाओं के प्रसार ने भारत में संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है।

- ये प्लेटफॉर्म्स सूचना साझाकरण एवं कनेक्टिविटी के प्रमुख साधन बन गए हैं, किंतु ये राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक सुरक्षा एवं सामाजिक सद्भाव के लिये जटिल जोखिम भी प्रस्तुत करते हैं।
- भ्रामक सूचनाओं के प्रसार से लेकर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तक, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सुरक्षा चिंताओं के लिये एक नया क्षेत्र बनकर उभरे हैं।

सोशल मीडिया एवं 'को गोपित' (एन्क्रिप्टिंग) संदेश सेवाओं से संबंधित सुरक्षा चुनौतियाँ

- **भ्रामक सूचना:** सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाओं का प्रसार किया जाता है, जो कि आराजकता को बढ़ता है। (वर्ष 2022 से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में, भ्रामक सूचनाओं से जुड़े प्लेटफॉर्म्स का व्यापक प्रसार देखने को मिला)।
- **अतिवाद:** एन्क्रिप्टेड ऐप्स के माध्यम से अतिवादी संगठन भर्ती करते हैं। (टेलीग्राम पर ISIS की गतिविधियाँ इसे सिद्ध करती हैं)
- **साइबर अपराध:** प्लेटफॉर्म्स स्कैम्स, आइडेंटिटी थेफ्ट को सक्षम करते हैं। (सेलिब्रिटियों की छवियों का प्रयोग कर ठगी या भ्रामकता का प्रसार किया जाता है)।
- **डाटा गोपनीयता:** उपयोगकर्त्ताओं के डाटा का दुरुपयोग, एक चिंता का विषय रहा है। (2018 कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैम)
- **डिजिटल युद्ध:** दुष्प्रचार और राज्य हित के लिये उपयोग किये जाने वाले प्लेटफॉर्म्स। (रूस द्वारा वर्ष 2020 के अमेरिकी चुनाव को डिजिटल माध्यम से प्रभावित किया गया)

सोशल मीडिया से संबंधित सुरक्षा चुनौतियों को समबोधित करने हेतु उपाय

- **IT अधिनियम 2000:** ऑनलाइन संचार को नियंत्रित करता है; धारा 69A सुरक्षा के लिये सामग्री को अवरुद्ध करने में सक्षम बनाती है और धारा 79 (1) मध्यस्थों को सशर्त प्रतिरक्षा प्रदान करती है। (भारत ने वर्ष 2020 में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया)
- **IT नियम 2021:** इसके माध्यम से कंटेंट मॉडरेशन और यूजर प्राइवेसी नोटिफिकेशन को अनिवार्य बनाया गया है। (ट्विटर को वर्ष 2021 में अनुपालन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा)
- **शिकायत अधिकारी:** प्लेटफॉर्म्स को शिकायतों के प्रबंधन हेतु अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिये। (मेटा ने वर्ष 2022 में स्पूर्ति प्रिया को नियुक्त किया)
- **तथ्य-जाँच:** प्लेटफॉर्म्स को सरकार द्वारा चिह्नित भ्रामक कंटेंट को हटाना की आवश्यकता है। (वर्ष 2023 के नियम सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के अधीन)

अन्य उपाय

- अंतरराज्यीय साइबर प्रतिक्रिया टीमों की स्थापना टीमों की स्थापना (अंतरराज्यीय सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों को संबंधित करना)
- सोशल मीडिया जबावदेही सूचकांक (सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिये सार्वजनिक रूप से परिणामों का प्रकाशन)
- स्तरीय एन्क्रिप्शन एक्सेस सिस्टम (कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक डिक्रिप्शन पहुँच)
- डाटा स्थानीयकरण (देश के भीतर उपयोगकर्ता डाटा संग्रहीत करने पर सख्त नियम)

निष्कर्ष: तकनीकी समाधानों, डिजिटल साक्षरता पहलों और हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को एकीकृत कर, भारत एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण का निर्माण कर सकता है। अंततः लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के बीच एक कमज़ोर संतुलन का निर्माण करना है, जिससे सभी नागरिकों के लिये एक सुरक्षित तथा जीवंत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित हो सके।

2023

प्रश्न: आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जनसमुदाय का विश्वास बहाल करने में 'दिल और दिमाग' जीतना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Winning of 'Hearts and Minds' in terrorism-affected areas is an essential step in restoring the trust of the population. Discuss the measures adopted by the Government in this respect as part of the conflict resolution in Jammu and Kashmir.

उत्तर: 'दिल और दिमाग' की जीत का तात्पर्य कश्मीर जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में सरकारी प्रणाली में स्थानीय लोगों का विश्वास बढ़ाने एवं इनका समर्थन हासिल करने के लिये सरकार द्वारा जन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने से है, जिसका लक्ष्य आतंकवाद का मुकाबला करना है।

कश्मीर के संदर्भ में सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय

अनुच्छेद-370 को निरस्त करना: इसके तहत जम्मू और कश्मीर के शेष भारत के साथ व्यापक एकीकरण को बढ़ावा देने एवं युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिये जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया गया।

युवाओं की भागीदारी

- सद्भावना परियोजना के तहत, आर्मी गुडविल स्कूल (AGS), छात्रावास और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किये गए; किशोरों एवं बुजुर्गों को 'भारत दर्शन' पर ले जाया गया तथा घाटी के युवाओं के लिये क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किये गए।
- लोगों की क्षमता निर्माण हेतु प्रोजेक्ट हिमायत तथा जम्मू और कश्मीर की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये प्रोजेक्ट उम्मीद को शुरू किया गया।
- **बुनियादी ढाँचे का विकास:** इस क्षेत्र में परिवहन, स्वास्थ्य आदि संबंधी बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर बल दिया गया। उदाहरण के लिये जम्मू और कश्मीर के लिये पी.एम. विकास पैकेज एवं खेलो इंडिया केंद्र को प्रोत्साहन।
- **पर्यटन, कला और शिल्प क्षेत्रों का विकास:** हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के प्रसार एवं विकास के लिये नवीन ऊन प्रसंस्करण, हस्तशिल्प व हथकरघा नीति, 2020 को अपनाया गया।

- **कट्टरवाद विरोधी अभियान:** कश्मीर में अलगाववाद को दूर करने तथा शेष भारत के साथ इसको एकीकृत करने के लिये कट्टरवाद विरोधी अभियान शुरू किये गए।
- **राजनीतिक संवाद:** राजनीतिक संवाद को प्रोत्साहित करने और स्थानीय राजनीति में क्षेत्रीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये राजनेताओं के साथ युवा पीढ़ी के जुड़ाव को बढ़ावा दिया जा रहा है।

हालाँकि सरकार का दृष्टिकोण इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास बहाल करना है लेकिन कश्मीर में स्थिति जटिल बनी हुई है। अब समय आ गया है कि सरकार द्वारा राज्य के लोगों के शेष भारत के साथ पूर्ण एकीकरण हेतु अनुकूल नीतियाँ लागू की जाएँ।

प्रश्न: सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार/गोला-बारूद, ड्रग्स आदि मानवरहित हवाई वाहनों (यू.ए.वी.) की मदद से पहुँचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिये किये जा रहे उपायों पर टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

The use of unmanned aerial vehicles (UAVs) by our adversaries across the borders to ferry arms/ammunitions, drugs, etc., is a serious threat to the internal security. Comment on the measures being taken to tackle this threat.

उत्तर: मानवरहित हवाई वाहन (यू.ए.वी.) 'दूरस्थ रूप से संचालित या स्व-चालित विमान होते हैं जो कैमरे, सेंसर, संचार उपकरण या हथियार/गोला-बारूद, ड्रग्स के साथ अन्य पेलोड से लेस हो सकते हैं।' इनका उपयोग सीमा पार के विरोधियों द्वारा किया जा सकता है और यह आंतरिक सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा हो सकता है।

चिंता का कारण

- ये अधिक ऊँचाई और कम गति पर उड़ सकते हैं जिससे सीमा सुरक्षा बलों के लिये इनका पता लगाना तथा इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है।
- इन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे घुसपैठ के प्रयासों में विरोधियों को जोखिम कम हो जाता है।
- ड्रोन का उपयोग जासूसी उद्देश्यों के लिये भी किया जा सकता है, जिससे अनधिकृत व्यक्तियों को सैन्य प्रतिष्ठानों, महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे और अन्य प्रमुख लक्ष्यों के बारे में संवेदनशील जानकारी एकत्रित करने में सहायता मिलती है।

खतरों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा किये गये उपाय

- **तकनीकी उन्नयन:** एंटी-ड्रोन हथियारों एवं डिटेक्शन सिस्टम की तैनाती जैसे रडार, जैमर आदि के साथ एंटी-ड्रोन सिस्टम जैसे स्काईवॉल 100 और ड्रोनगन टैक्टिकल चिमेरा को विकसित करने के प्रयास करना।
- **सैन्य बलों द्वारा खुफिया जानकारी जुटाना:** बी.एस.एफ. द्वारा गश्त एवं अवलोकन चौकियों के माध्यम से चौबीसों घंटे निगरानी करने के साथ सीमा पर फेंसिंग, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है।
- **संस्थागत पहल:** गृह मंत्रालय ने विरोधी ड्रोनों का मुकाबला करने के लिये उपलब्ध तकनीक का मूल्यांकन करने हेतु एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया है।
- **सरकारी सहयोग:** उच्च स्तरीय ड्रोन के विकास हेतु इज़राइल जैसे देशों के साथ सक्रिय सहयोग पर बल दिया गया है।
- **DRDO निशांत:** इसे मुख्य रूप से दुश्मन के क्षेत्र की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिये डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग टोही, प्रशिक्षण, निगरानी एवं लक्ष्य भेदन के लिये भी किया जाता है।
- **मानवरहित विमान प्रणाली को काउंटर (C-UAS) करने की रणनीति:** इसमें संचार लाइनों को अवरुद्ध करना और अवांछित ड्रोन को गिराना शामिल है।

प्रौद्योगिकी के उद्भव के साथ ही आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न हुआ है। इसलिये समय की मांग है कि एक ऐसी व्यापक ड्रोन रणनीति विकसित की जाए जिसमें उच्च क्षमता वाले ड्रोन के विकास हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी को महत्त्व दिया जाए।

प्रश्न: भारत के समक्ष आने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं? ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिये नियुक्त केंद्रीय खुफिया और जाँच एजेंसियों की भूमिका बताइये। (250 शब्द, 15 अंक)

What are the internal security challenges being faced by India? Give out the role of Central Intelligence and Investigative Agencies tasked to counter such threats.

उत्तर: एक संप्रभु राष्ट्र का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व अपने नागरिकों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से सुरक्षा करना है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने विद्रोह, उग्रवाद और बाह्य सहायता प्राप्त विद्रोह सहित विभिन्न आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया है।

भारत के समक्ष आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ

- **अलगाववादी गतिविधियाँ:** हमारे देश में अलगाववादी भावनाएँ स्वतंत्रता के समय से ही मौजूद रही हैं तथा अभी भी कानून और व्यवस्था के लिये एक प्रमुख चुनौती बनी हुई हैं। उदाहरण के लिये, नगालैंड अलगाववाद, कश्मीरी अलगाववाद आदि।
- **सांप्रदायिकता:** दो प्रमुख धार्मिक समूहों के बीच विवादों के कारण अक्सर पारस्परिक घृणा और झगड़े उत्पन्न होते हैं। इससे अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। समूहों के मध्य बढ़ती घृणा हमारे नागरिकों को अनुचित गतिविधियों के लिये प्रेरित करने का आसान लक्ष्य बनाती है।
- **अवैध प्रवासन:** विगत कुछ वर्षों में अवैध प्रवासन ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन और बेरोज़गारी में वृद्धि जैसी कई आंतरिक समस्याओं को जन्म दिया है, जिससे देश के संसाधनों पर दबाव पड़ा है।
- **वामपंथी उग्रवाद:** यह मुख्यत: भारत के मध्य और पूर्वी हिस्सों में विद्यमान है तथा इसकी राजनीतिक विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद या माओवाद को चिह्नित किया जाता है। सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ और भौगोलिक अलगाव इसके उद्भव के लिये ज़िम्मेदार कारक हैं।

भारत में कार्रवाई करने के विभिन्न अधिदेशों के साथ कार्यरत विभिन्न खुफिया और अन्वेषण एजेंसियाँ मौजूद हैं, इनमें प्रमुख हैं–

- **राष्ट्रीय अंवेषण अभिकरण (NIA):** यह भारत की प्रमुख आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन अभिकरण है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जाँच करती है।
- **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB):** यह विभिन्न स्वापक औषधियों एवं मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य समन्वय करने वाली शीर्ष संस्था है। यह संपूर्ण भारत में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कार्य करती है।
- **राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI):** यह प्रतिबंधित सामग्री की तस्करी की खुफिया जानकारी और उससे संबंधित मामलों की जाँच करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य काले धन के प्रसार और धन शोधन को रोकना भी है।
- **इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB):** यह देश के भीतर जानकारी एकत्र करने एवं आतंकवाद-रोधी अभियानों को अंजाम देने के लिये ज़िम्मेदार शीर्ष खुफिया निकाय है। यह घरेलू खुफिया और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों में कार्य करती है।
- **रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW):** इसने इंटेलिजेंस ब्यूरो से विदेशी खुफिया सूचनाओं के प्रबंधन का कार्य प्राप्त किया था। वर्तमान में यह विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करती है, आतंकवाद-रोधी अभियान चालित करती है एवं भारतीय नीति निर्माताओं परामर्श प्रदान करती है।
- **केंद्रीय अंवेषण ब्यूरो (CBI):** इसका गठन संथानम समिति की अनुशंसाओं पर किया गया था, यह अंवेषण हेतु एक प्रमुख पुलिस एजेंसी है। यह अंवेषण का कार्य करती है एवं इंटरपोल के लिये समन्वय संस्था के रूप में भी कार्य करती है।

किसी राष्ट्र के विकास के लिये आंतरिक सुरक्षा एक अनिवार्य विषय है। भारतीय खुफिया एवं अंवेषण एजेंसियाँ हमारे राष्ट्र के गुमनाम नायक हैं और इन संस्थाओं ने हमारे जीवन को सुरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।

प्रश्न: भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत और इन स्रोतों पर अंकुश लगाने के लिये किये गए प्रयासों को बताइए। इस आलोक में हाल ही में नई दिल्ली में नवंबर 2022 में हुई 'आतंकवाद के लिये धन नहीं' (NMFT)' संगोष्ठी के लक्ष्य एवं उद्देश्य की भी विवेचना कीजिये।

(250 शब्द, 15 अंक)

Give out the major sources of terror funding in India and the efforts being made to curtail these sources. In the light of this, also discuss the aim and objective of the No Money for Terror (NMFT)' Conference recently held at New Delhi in November 2022.

उत्तर: वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद से ही भारत विभिन्न प्रकार की आतंकवादी और विद्रोही गतिविधियों का साक्षी रहा है। विगत कुछ वर्षों में भारत ने अपनी गलतियों से सीख ली है और आतंकवाद के वित्तपोषण तथा अन्य संबंधित गतिविधियों को सबक देने के लिये कई तरीके विकसित किये हैं।

आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत

- **राज्य प्रायोजित आतंकवाद:** राजनयिक हितों को आगे बढ़ाने के लिये आतंक का उपयोग एक पूर्व विदित अभ्यास रहा है। राज्य अपराधों को प्रायोजित करते हैं और आतंकवादियों का सहयोग एक नीति के रूप में करते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने उद्देश्यों के लिये उनका उपयोग कर सकें।
- **जाली मुद्रा:** इसमें जाली मुद्रा को सीधे छापना और बाज़ार में प्रसारित करना शामिल है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिये पड़ोसी राज्यों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है।
- **संगठित अपराध:** आपराधिक संगठन आमतौर पर मिल जुलकर कार्य करते हैं और अक्सर बड़े आतंकवादी समूहों से संबद्ध होते हैं। इन दोनों के बीच संसाधनों का प्रवाह दोतरफा होता है।
- **जबरन वसूली:** यह भारत में विशेषकर उत्तर-पूर्व में आतंकवाद के वित्तपोषण का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है।
- **हवाला प्रणाली:** यह आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के माध्यम से धन के स्थानांतरण का एक अवैध तरीका है जिसका उपयोग आपराधिक नेटवर्क द्वारा किया जाता है।

स्रोतों पर अंकुश के लिये किये गए प्रयास

- **राष्ट्रीय अंवेषण अभिकरण (NIA):** यह राज्यों की विशेष अनुमति लिये बिना राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को संबोधित करने लिये भारत की प्रमुख संस्था है।
- **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA):** यह आतंकवाद-रोधी कानून किसी व्यक्ति को "आतंकवादी" के रूप में नामित करने का प्रयास करता है।
- **नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID):** यह आतंक और अपराध से संबंधित सूचनाओं की एक केंद्रीकृत डेटा लाइब्रेरी है।
- **समाधान सिद्धांत:** इसे विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद की चुनौतियों को संबोधित करने के लिये विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण को समाप्त करना है।
- हाल ही में आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण पर तीसरी 'श्नो मनी फॉर टेरर्श (NMFT)' मंत्रिस्तरीय संगोष्ठी नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई थी। इसके प्रमुख लक्ष्यों में:
- आतंकवाद एवं उग्रवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिये वैश्विक सहयोग स्थापित करना।

- इस संबंध में देश में एक सचिवालय की स्थापना करना, जो कि कोई जाँच संस्था नहीं होगी बल्कि सहकारिता एवं सहभागिता की अवधारणा पर कार्य करेगी।
- नवीन उभरते खतरों एवं आतंकवाद के प्रचार-प्रसार के तरीकों की जाँच करना।

दो शत्रु पड़ोसियों से घिरा होने के कारण भारत आंतरिक सुरक्षा के प्रश्न पर आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता है। भारत ने कई उपायों के माध्यम से आतंकवाद के विरुद्ध अपने संघर्ष को जारी रखा है ताकि आंतरिक सुरक्षा को मज़बूत किया जा सके।

2022

प्रश्न : साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्त्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिये कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। (250 शब्द, 15 अंक)

What are the different elements of cyber security? Keeping in view the challenges in cyber security, examine the extent to which India has successfully developed a comprehensive National Cyber Security Strategy.

उत्तर : साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को साइबर खतरों से सुरक्षा प्रदान करना है।

आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न तत्त्व निम्न हैं–

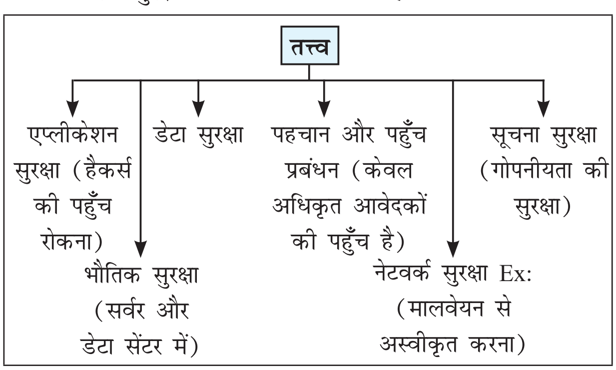

- हाल में रैंसमवेयर हमले से 75% से अधिक भारतीय संगठनों ने इस तरह के हमलों का सामना किया है।
- साइबर सुरक्षा की निम्न चुनौतियाँ हैं–

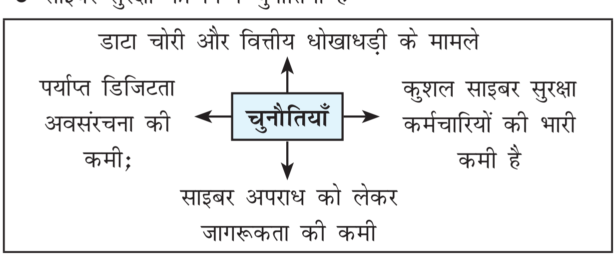

- भारत ने साइबर अपराध से निपटने के लिये एक बहुआयामी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अपनाई है।

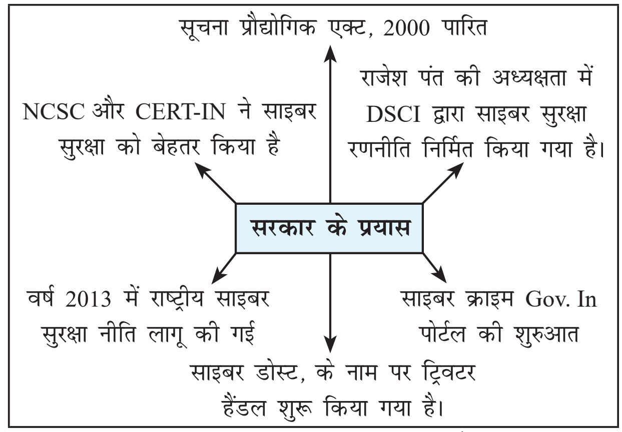

- भारत में साइबर संबंधी सुझाव निम्न हो सकते हैं–

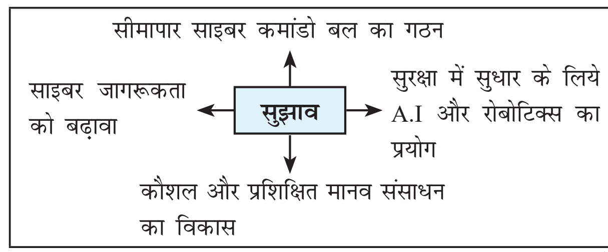

भारत ने एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर रणनीति विकसित की है, जिसमें प्रगति की बात है, साइबर लॉन्च की झलक प्रभावशाली ढंग से और देश के डिजिटल मॉनिटर और डेटा की सुरक्षा के मामले में अभी भी सुधार की बात है।

प्रश्न : नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिये और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Naxalism is a social, economic and developmental issue manifesting as a violent internal security threat. In this context, discuss the emerging issues and suggest a multilayered strategy to tackle the menace of Naxalism.

उत्तर : नक्सलवाद को देश की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई है।

उभरते मुद्दे

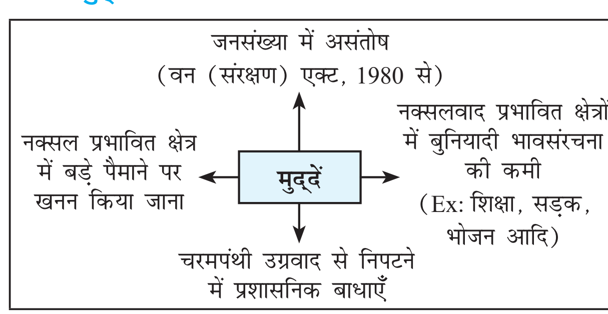

नक्सलवाद के खतरे से निपटने हेतु रणनीति

सुझाव
- जनसंख्या में असंतोष (वन (संरक्षण) एक्ट, 1980 से)
- नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन किया जाना
- नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी भावसंरचना की कमी (Ex: शिक्षा, सड़क, भोजन आदि)
- चरमपंथी उग्रवाद से निपटने में प्रशासनिक बाधाएँ

आर्थिक आयाम आर्थिक वंचना को बढ़ावा मिलना
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को 'रोज़गार दिया जाना'
- युवाओं का कौशल विकास करके
- आर्थिक अंतर दूर करके

विकासात्मक आयाम
- अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को मज़बूत करना
- LWE, मोबाइल टावर परियोजना
- 'समाधान' पहल को प्रभावी बनाना
- आपरेशन ग्रीन हंट (2010 में शुरू)
- वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क परियोजना लागू की गई है

- नक्सलवाद को समाप्त करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा लागू की जाने वाली अनुकूल राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकता है।
- 2004 के दौर में नक्सलियों का राष्ट्रीय स्वरूप उभरा और 'विदेशी संपर्क' बढ़े, जिससे अब नक्सलवाद राष्ट्र की 'सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती' बनकर उभरा। नक्सलियों से लड़ने के लिये प्रदेशों की पुलिस क्षमता का विकास करना आवश्यक है।

हालाँकि कुछ वर्षों में LWE संबंधी हिंसात्मक घटनाओं में कमी आई है, परंतु इस प्रकार के समूहों को पूर्णत: समाप्त करने के लिये निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिये केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर अपने काम को जारी रखना चाहिये और साझी रणनीति को सामने रखना चाहिये।

2021

प्रश्न: भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये बाह्य राज्य और गैर-राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। इन संकटों का मुकाबला करने के लिये आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिये।

(250 शब्द, 15 अंक)

Analyse the multidimensional challenges posed by external state and non-state actors, to the internal security of India. Also discuss measures required to the taken to combat these threats.

उत्तर: आंतरिक सुरक्षा का सामान्य अर्थ एक देश की अपनी सीमाओं के भीतर की सुरक्षा से है। यह देश की संप्रभुता की रक्षा करने, क्षेत्रीय एकता, अखंडता तथा आंतरिक शांति बनाये रखने हेतु महत्त्वपूर्ण है।

भारत की भू-राजनैतिक स्थिति तथा विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति के कारण बाहय राज्य तथा गैर-राज्य कारक आंतरिक सुरक्षा के समक्ष बहुआयामी चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं।

बाहय राज्य → **सीमाओं के लगे तथा दूरस्थ देश शामिल**
- युद्ध तथा पारस्परिक अविश्वास के रूप में (पारंपरिक)
- सीमापार प्रायोजित आतंकवाद (कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा)
- हवाला
- नकली नोटों का प्रसार
- मादक पदार्थों की तस्करी
- अवैध घुसपैठ
- साइबर हमले (एम्स दिल्ली 2023)

गैर-राज्य कारक → **अंतर्राष्ट्रीय, गैर-सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय कपनियाँ, आतंकी तथा धार्मिक समूह देकर आदि**
- राज्य प्रायोजित आतंकवाद का समर्थन
- आतंकवादी समूहों को समर्थन
- मर्जा लॉड्रिंग गतिविधियाँ
- पूर्वोत्तर भारत में विद्रोहियों को अवैध धन उपलब्ध कराने में

बाहय राज्य तथा गैर-राज्य कारकों से उत्पन्न संकटों से निपटने के उपाय
- सूचना साक्ष्यकरण को मज़बूत बनाने हेतु कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सरकार, मीडिया तथा जनता में सहयोग बढ़ाना
- इनसे निपटने हेतु गठित संस्थागत एवं विधायी तंत्रों की अंतर क्रियाशीलन में सुधार
- जागरूकता अभियान तथा अंतर धार्मिक चर्चाओं को बढ़ावा देना
- साइबर शिक्षा हेतु अलग व्यवस्था

बाहय राज्य तथा गैर-राज्य दोनों कारकों से सुरक्षा हेतु कूटनीतिक मजबूती पर बल तथा आंतरिक सुरक्षा हेतु सामाजिक-सांस्कृतिक लोकाचार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिये।

प्रश्न: चर्चा कीजिये कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण मनीलॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइये? (150 शब्द, 10 अंक)

Discuss how emerging technologies and globalization contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at national and international levels.

उत्तर: FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जिसके अंतर्गत अपराध से प्राप्त प्राप्तियों को छिपाकर वैध व्यापार लेने-देने के माध्यम से मूल्यांतरण द्वारा उसके अवैध स्रोतों को वैध किये जाने का प्रयास किया जाता है।

- **उभरती प्रौद्योगिकियाँ निम्नलिखित में से मनी लॉड्रिंग में अपना योगदान देती हैं–**
  - उभरती प्रौद्योगिकी जैसे– क्रिप्टोकरेंसी एवं वैकल्पिक वित्त का उपयोग सरकार के नियंत्रण में नहीं है;
  - क्रेडिट कार्ड की हैकिंग;
  - वास्तविक पहचान छिपाकर अवैध धन के स्तरीकरण;
  - कई सारे चैनलों की भागीदारी;
  - एंक्रिव्टेड बातचीत, मनी लॉड्रिंग संबंधी सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा;
  - जैमरिज की संरचना करना।
- **वैश्वीकरण का मनी लॉड्रिंग में योगदान–**
  - वैश्विक वित्तीय प्रणाली में धन का स्थानांतरण;
  - टैक्स हैवन की समस्या (Ex: पनामा, केमैन आइलैंड);
  - संप्रभु सीमा के बिना फर्म और सीमेंट के माध्यम से वैध गुट के हिस्से (शेल कंपनियाँ)।
- **मनीलॉड्रिंग को रोकने के निम्न उपाय हो सकते हैं–**
  - राष्ट्रीय स्तर पर उपाय;
  - PMLA, एक्ट, 2002 का निर्माण;
  - विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधित एक्ट, 2019;
  - RBI द्वारा एंटी मनी लॉड्रिंग स्टैंडर्ड;
  - फइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट-भारत।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपाय–**
  - वियना कन्वेंशन, 1988;
  - OECD फर्मो ने मनी लॉड्रिंग के कन्वेशन के खिलाफ;
  - FATF की स्थापना;
  - द इंटरनेशनल मनी लॉड्रिंग इंफार्मेशन नेटवर्क (IMOLIN)।

मनी लॉड्रिंग एक वैश्विक खतरा है, जिसे रोकने के लिये वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। तीव्र बदलती वैश्विक प्रौद्योगिकी के साथ प्रभावी निगरानी हेतु कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु अद्यतन प्रशिक्षण देना, जागरूकता अभियान एवं वैश्विक मनी लॉड्रिंग नियंत्रण एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना प्रभावी कदम साबित होगा।

प्रश्न: आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता इसके कारणों, संबधों तथा अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिये? आतंकवाद का भी सुझाव दीजिये? (150 शब्द, 10 अंक)

Analyse the complexity and intensity of terrorism, its causes, linkages and obnoxious nexus. Also suggest measures required to be taken to eradicate the menace of terrorism.

उत्तर: आतंकवाद का सरल अर्थ भय उत्पन्न कर अपने उद्देश्य की पूर्ति करना है। यह कोई विचारधारा या सिद्धांत नहीं अपितु एक उपकरण है, जिसका प्रयोग कर कोई राज्य राजनीतिक संगठन, अलगाववादी संगठन एवं जातीय धार्मिक उन्मादी अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है।

आतंकवाद के कारण संबंध और घृणित गठजोड़

- समाज में बढ़ती असहिष्णुता तथा इनका लाभ उठाना
- पूर्वोत्तर भारत में विद्रोहियों को अबैध धन उपलब्ध कराने के लिये गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट की निकटता का लाभ लेकर मादक पदार्थो की तस्करी से आतंकवादियों का वित्तपोषण
- निरक्षता गरीबी, उच्च बेरोज़गारी भ्रष्टाचार आदि का लाभ लेकर युवाओं की ब्रेन वाशिंग इंटरनेट के माध्यम से
- संगठित अपराध तथा आतंकवाद के बीच पनपा गठजोड़
- अंतर्राष्ट्रीय सहायता से आतंकवादियों को नवीन तकनीकी की उपलब्धता एवं आतंकवादियों द्वारा इसका उपयोग
- ऐतिहासिक अन्याय और मानवाधिकारों का उल्लंघन जैसी भ्रामक जानकारियों का सहारा

आतंकवाद के उन्मूलन हेतु भारत द्वारा विभिन्न उपाए किये गए

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980
- विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 (2019 में संशोधित)।
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCII) 1996
- धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (2012 में संशोधित)

हालाँकि आतंकवाद जैसे व्यापक चरित्र वाले शत्रु के लिये उपर्युक्त उपाय ही पर्याप्त नहीं है। बल्कि अन्य सुझावों पर कार्य करने की आवश्यकता है, जो निम्नलिखित है–

- अंतर-एजेंसी भागीदारी और सूचना विनिमय को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय समन्वय तंत्र को मजबूत करना।
- आतंकवादी और संगठित अपराधों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना।
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय को अंगीकार करना।
- अवैध धन और लोगों के अवैध पारगमन रोकने के लिये सीमा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देना।
- यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि सामाजिक-आर्थिक विकास के परिणाम समावेशी हों।

इस प्रकार एक-बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो आतंकवाद को जन्म देने वाली अंतर्निहित चुनौतियों का मुकाबला करने के साथ-साथ सुरक्षा वास्तुकला को मजबूत करने को केंद्रित हो।

प्रश्न: भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये, सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये? साथ ही इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा कीजिये? (150 शब्द, 10 अंक)

Keeping in view India's internal security, analyse the impact of cross-border cyber attacks. Also discuss defensive measures against these sophisticated attacks.

उत्तर: व्यक्ति या संगठित समूह द्वारा साइबर स्पेस का उपयोग कर अपराध करना साइबर हमला कहलाता है। इस प्रकार गुमनाम और सीमाहीन हमले अपराधियों की ट्रैकिंग को कठिन और साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का जटिल मुद्दा बना देता है।

सीमा पार साइबर हमले का प्रभाव

- संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिये स्पाइवेयर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण-भारत द्वारा चीनी मोबाइल रूप पर प्रतिबंध
- सूचना और अवसंरचना (विद्युत योजना, परमाणु संयंत्र दूरसंचार आदि) को क्षति पहुँचाने में
- सोशल मीडिया का उपयोग कर आतंकवादी हमलों की योजना, कट्टरता के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश
- आतंकवाद के मौजूदा रूपों से जुड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना।

रक्षात्मक उपाय

- संस्थागत स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक (NCSC) साइबर सुरक्षा मामलों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करना।
- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) विभिन्न संबंधित एजेंसियों को नियमित आधार नवीनतम साइबर खतरों और जवाबी उपायों के बारे में अलर्ट एवं सलाह जारी करता है।
- राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) अपने अधिदेश के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास संबंधी उपायों तथा समीक्षात्मक सूचना संरचना के संरक्षण के लिये उत्तरदायी है।
- साइबर सुरक्षा केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर) लॉन्च किया गया है। दुर्भावनापूर्ण हमलों का पता लगाने और उन्हें हटाने हेतु मुफ्त सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) साइबर अपराधों की शिकायतों को दर्ज करने हेतु पीड़ितों को एक सार्वजनिक मंच उपलब्ध कराएगा।
- RBI का साइबर सुरक्षा सेल बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में साइबर सुरक्षा के खतरों की निगरानी भी करता है।
- सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 कंप्यूटर प्रणालियों एवं उनके डाटा के प्रयोग को नियंत्रित करता है।

MHA के मुताबिक 2019-20 के बीच साइबर हमलों में तीन गुना बढ़ोतरी हुई। साइबर सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के लिये भारत को न केवल रक्षात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, बल्कि साइबर स्पेस में प्रतिरोध पैदा करने के लिये आक्रामक क्षमताओं को विकसित करने पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

2020

प्रश्न: साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों और इस खतरे से लड़ने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Discuss different types of cyber crimes and measures required to be taken to fight the menace.

उत्तर: साइबर अपराध का अर्थ डिजिटल उपकरणों, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क या मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके ऐसे कार्य करना है, जो गैर-कानूनी, अनैतिक या हानिकारक हों। यह एक ऐसा अपराध है जो साइबर स्पेस (डिजिटल और वर्चुअल दुनिया) में घटित होता है और इसमें अपराधी तकनीकी माध्यमों का उपयोग करके धोखाधड़ी, चोरी, या नुकसान पहुंचाने वाले कार्य करते हैं।

साइबर अपराध एक गैर-कानूनी और विद्वेषपूर्ण गतिविधि है, जिसमें कंप्यूटर इंटरनेट का उपयोग एक सहायक उपकरण या लक्ष्य अथवा दोनों के रूप में किया जाता है।

साइबर अपराधों के प्रकार

साइबर स्टॉकिंग
यह एक प्रकार का ऑनलाइन उत्पीड़न है, जिसमें पीड़ित को ऑनलाइन संदेशों, सोशल मीडिया और ईमेल आदि के ज़रिये परेशान किया जाता है।

डिनायल-ऑफ सर्विस
इसके अंतर्गत किसी अन्य कंप्यूटर नेटवर्क पर ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता को बाधित किया जाता है।

हैकिंग
इसमें किसी व्यक्तियों, संस्था के कंप्यूटर नेटवर्क के भीतर बिना अनुमति के अनाधिकारिक पहुँच बनाकर संवेदनशील डाटा की चोरी, उसे डैमेज करना तथा फिरौती की मांग करना आदि गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बोटनेट्स, वायरस हमले, पहचान की चोरी, ऑनलाइन गैंबलिंग आदि को साइबर अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है।

फिशिंग
यह ऑनलाइन धोखाधड़ी का सबसे कुख्यात तरीका है, जिसमें हमलावर अपना वास्तविक होने का दावा करते हुये लोगों का विश्वास हासिल करके ईमेल, चैट मैसेज आदि के माध्यम से उपयोगकर्त्ताओं की महत्त्वपूर्ण जानकारियों को हासिल करके उनका दुरुपयोग करते हैं।

साइबर अपराधों के खतरे से निपटने के उपाय

- साइबर युद्ध और साइबर आतंकवाद जैसे खतरों से निपटने के लिये एक एकीकृत साइबर कमांड की स्थापना की जानी चाहिये।
- विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों, NGOs के माध्यम से देश में साइबर जागरूकता का प्रसार करना।
- देश में डाटा स्थानीयकरण, डिजिटल संप्रभुता और इंटरनेट गवर्नेंस को बढ़ावा देना।
- यूरोपीय यूनियन के GDPR और अमेरिका के CLOUD एक्ट की तरह भारत में भी डाटा की सुरक्षा के लिये एक संक्रिय तंत्र होना चाहिये।
- साइबर खतरों की सुभेद्यता को कम करने तथा इससे निजात पाने के लिये प्रीडिक्शन, प्रिवेंशन, रिस्पांस और डिटेक्शन प्रक्रिया को अपनाना चाहिये।
- कंप्यूटर उपकरणों और सॉफ्टवेयर का नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट और अपडेशन किया जाना चाहिये तथा मज़बूत पासवर्ड का प्रयोग करना चाहिये।
- साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये इससे संबंधित सभी नियामक संस्थाओं के समन्वय को बढ़ावा देना चाहिये। देश में पर्याप्त साइबर सुरक्षा प्रोफेशनल की नियुक्ति की जानी चाहिये।
- साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निवेश और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

देश में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में भारत सरकार ने आईटी एक्ट, 2000, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2013, सर्ट-इन, आई 4 सी योजना जैसे सराहनीय प्रयास किये हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर अपराधों से निपटने हेतु एक कारगर पहल है।

प्रश्न: आतंरिक सुरक्षा खतरों तथा नियंत्रण रेखा सहित म्याँमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा-पार अपराधों का विश्लेषण कीजिये। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना कीजिये।

(250 शब्द, 15 अंक)

Analyze internal security threats and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders including Line of Control (LoC). Also discuss the role played by various security forces in this regard.

उत्तर: भारत दक्षिण एशिया में केंद्रीय अवस्थिति रखता है और इस क्षेत्र के लगभग सभी देशों के साथ सीमा साझा करता है। इस पड़ोसी देशों से होने वाले सीमा-पार अपराध देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।

सीमा-पार अपराध व आंतरिक सुरक्षा खतरे

- **भारत-म्याँमार सीमा:**
  - भौगोलिक जटिलता तथा मुक्त आवाजाही व्यवस्था।
  - स्वर्णिम त्रिभुज से समीपता के कारण मादक द्रव्यों, हथियारों, वन्यजीवों व वनोपजों की तस्करी होती है।
  - उग्रवादी समूह म्याँमार के जंगली क्षेत्रों में प्रशिक्षण, प्रश्रय लेकर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं।
- **भारत-बांग्लादेश सीमा:**
  - अवैध घुसपैठ व आव्रजन की घटनाएँ इस सीमा की सुभेद्यता को बढ़ाती है।
  - अन्य आपराधिक गतिविधियाँ-तस्करी, अपहरण, अवैध व्यापार व खनन आदि देश की आंतरिक सुरक्षा हेतु गंभीर संकट पैदा करती है।
- **भारत-पाकिस्तान सीमा:**
  - सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक।
  - सीमापार आतंकवाद, अवैध घुसपैठ, नकली मुद्राओं, हथियारों व मादक द्रव्यों की तस्करी, आतंकवाद व संगठित अपराधों का गठजोड़।
  - नियंत्रण रेखा (Loc) पर आतंकियों की घुसपैठ एवं सीमा-पार से बॉर्डर एक्शन टीम (पाकिस्तान) द्वारा होने वाले युद्ध विराम के उल्लंघन के कारण देश की आंतरिक सुरक्षा पर सदैव खतरा बना रहता है।

सुरक्षा बलों की भूमिका

- **भारत-म्याँमार सीमा:**
  - असम राइफल्स की तैनाती।
  - सेना द्वारा वर्ष 2015 में NSCN-K के विरुद्ध, वर्ष 2019 में 'ऑपरेशन सनशाइन-1 और 2' के माध्यम से अराकान विद्रोहियों और अन्य उग्रवादी समूहों के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की गई।
  - सीमापारीय गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने और आसूचना के आदान-प्रदान हेतु मई 2014 में भारत-म्यांमार के मध्य Mov पर हस्ताक्षर किये गए।
  - सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त सीमा चौकी (BPO) की तैनाती की जा रही है तथा साथ ही संयुक्त सीमा कार्यदल (JBWG) की नियुक्ति की गई है।
- **भारत-बांग्लादेश सीमा:**
  - सीमा सुरक्षा का दायित्व सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंपा गया है।
  - सीमापारीय आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिये बीओपी व एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) की संख्या बढ़ाते हुये फ्लड लाइटिंग, स्मार्ट फेंसिंग की व्यवस्था की गई है।
  - BOLD-QIT परियोजना के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को तकनीकी रूप से उन्नत किया गया है।
  - बॉर्डर सर्विलांस डिवाइसों के माध्यम से निगरानी करते हुये BSF इस क्षेत्र में अपराधों के प्रति स्थानीय लोगों के मध्य जागरूकता बढ़ाने का कार्य करता है।
  - सुरक्षा बलों द्वारा आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य, पुनर्वास व पुनर्स्थापना का कार्य भी किया जाता है।
- **भारत-पाकिस्तान सीमा:**
  - सीमा की चौकसी का दायित्व BSF को सौंपा गया है।

- सीमा-पार अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त BOP की तैनाती, व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) आदि को शामिल किया गया है।
- सन् 1984 में ऑपरेशन 'मेघदूत' द्वारा सियाचिन ग्लेशियर नियंत्रण तथा 2016 और 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक की घटनाएँ सेना के समेकित कौशल को दर्शाती हैं। वर्ष 2014 की बाढ़ में सेना ने राहत और बचाव कार्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एक प्रभावी आसूचना तंत्र के माध्यम से अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाते हुये देश के आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। साथ ही देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करके प्रभावी सीमा प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सकता है।

प्रश्न : प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिये और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके भी सुझाइये। (150 शब्द, 10 अंक)

For effective border area management, discuss the steps required to be taken to deny local support to militants and also suggest ways to manage favourable perception among locals.

उत्तर : देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय लोगों का प्रशासन के बजाय हिंसावादियों को मिलने वाला समर्थन सीमा प्रबंधन के लिये अत्यंत चिंतनीय विषय है। गौरतलब है कि हिंसावादियों को मिलने वाला स्थानीय उत्तर (जम्मू-कश्मीर) और उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में ज़्यादा मुखर है।

स्थानीय समर्थनों में निहित कारक

- **आर्थिक कारक :** गरीबी, अशिक्षा, बेरोज़गारी एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के अभाव तथा आय एवं विकास की क्षेत्रीय असमानता की बदौलत सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता है और आगे चलकर हिंसावादियों के जनसमर्थन का आधार बनता है।
- **राजनीतिक व प्रशासनिक कारक :** सीमावर्ती क्षेत्रों में राजनीतिक विकेंद्रीयकरण का अभाव तथा भ्रष्टाचार, केंद्रीय योजनाओं का अनुचित क्रियान्वयन और इन क्षेत्रों में लगने वाला अफ्स्पा (AFSPA) जैसे कानून स्थानीय लोगों की प्रशासनिक विलगता को बढ़ाते हैं।
- **सामाजिक व अन्य कारक :** पूर्वोत्तर क्षेत्र में नस्लीय एवं सांस्कृतिक विशिष्टता, नृजातीयता के संरक्षण तथा कश्मीर क्षेत्र में धार्मिक पहचान और जनसांख्यिकी परिवर्तन, संगठन, जनसमर्थन हासिल करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सेना के खिलाफ अविश्वास और उग्रवादियों के प्रति विश्वास गहरा होता जाता है।
- **ऐतिहासिक कारक :** आजादी के बाद से ही कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्रमशः धार्मिक तथा सांस्कृतिक, नृजातीय मुद्दे हिंसावादियों के स्थानीय समर्थन जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद तथा पूर्वोत्तर का नागा मुद्दा आदि।

स्थानीय समर्थन को रोकने के उपाय

- आधारभूत सुविधाओं, जैसे-शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क आदि को मुहैया कराते हुये रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- विकेंद्रीकृत शासन हेतु 'पेसा एक्ट' को सुदृढ़ करते हुये स्थानीय स्वशासन में स्थानीय लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिये, पारदर्शी शासन को बढ़ावा देना और पहचान आधारित राजनीति को हतोत्साहित करना।
- किसी स्थानीय सेलिब्रिटी या नेता को सोशल इन्फुलएसर के रूप में प्रतिस्थापित करके अनुनयन के माध्यम से हिंसावादियों के लिये स्थानीय समर्थन को वंचित किया जा सकता है।

स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके

- स्थानीय लोगों और प्रशासन के मध्य समन्वय को बढ़ावा देना चाहिये। सेना व अन्य कार्मिकों को स्थानीय लोगों के प्रति संवेदनशील होने तथा उनसे संवाद व सामंजस्य स्थापित करने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। इससे परस्पर विश्वास बहाली होगी।
- स्थानीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान के साथ एकीकृत करते हुये 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को यथार्थ बनाना चाहिये। स्थानीय मुद्दों को मुख्यधारा से जोड़कर राष्ट्रीय स्तर के अन्य मुद्दों की भाँति महत्त्व देना चाहिये।

अतः प्रशासन व सेना का स्थानीय जनता के साथ बेहतर संयोजन सीमा सुरक्षा की लागत को कम करेगा और इसमें स्थानीय लोगों की सहभागिता भी सुनिश्चित होगी।

प्रश्न : भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में खतरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिये? (250 शब्द, 15 अंक)

What are the determinants of left-wing extremism in Eastern part of India? What strategy should Government of India, civil administration and security forces adopt to counter the threat in the affected areas?

उत्तर : वामपंथी उग्रवाद देश के लिये एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौती है, जिसके कारण वर्ष 2008-19 में 8 राज्यों के 250 से ज्यादा थाना क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएँ हुई हैं। किंतु देश के शेष भागों पर अपेक्षा पूर्वी और उत्तर पूर्वी में वामपंथी उग्रवाद अधिक गंभीर समस्या उत्पन्न करता है।

देश के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के प्रमुख निर्धारक कारक

- वामपंथी उग्रवादियों द्वारा पूर्वोत्तर को चीन से हथियारों और अन्य गोला बारूद को भारत लाने के लिये पारगमन मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाना।
- देश के शेष भाग से शारीरिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों की कमी ने अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया, जिसका लाभ वामपंथी उग्रवादी समूह उठा रहे।
- यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, जैसे पहाड़ी इलाके और घने जंगल सुरक्षा बलों के काफिले पर घात लगाकर बैठने के लिये सुविधाजनक जगह उपलब्ध कराती है।
- उल्फा द्वारा माओवादी संगठनों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है, इससे दोनों चरमपंथी विचारधाराओं को एक-दूसरे को विस्तार में सहयोग प्राप्त हुआ।
- क्षेत्र की अत्यधिक नृजातीय विविधता के कारण अलग राज्य की मांग, अत्यधिक स्वातंत्र्यता और भारत के अलगाव की मांग को लेकर यहाँ सैकड़ों चरमपंथी और उग्रवादी संगठन मौजूद हैं। ये उग्रवादी समूह माओवादियों को आश्रय और सहयोग प्रदान करते हैं।
- लंबे समयांतराल तक इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा माओवादी और उत्तरपूर्व के चरमपंथियों के मध्य संबंधों के ठोस साक्ष्य एकत्र न कर पाना।

वामपंथी उग्रवाद के संबंध में भारत सरकार नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को रणनीतिया अपनानी चाहिये:

- नागरिक प्रशासन में स्थानीय सहभागिता में वृद्धि करना तथा पेसा अधिनियम का प्रभावशीलता से कार्यान्वयन करना।
- सुरक्षा बलों को स्थानीय समुदायों के साथ बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास करना चाहिये, जिससे उग्रवादियों को आश्रय मिलना बंद हो तथा उनके ठिकाने के संबंध में सूचनाएँ प्रदान प्राप्त हो सकें।
- शिक्षण संस्थानों और मीडिया में उग्रवादियों के समर्थक वर्ग का नेटवर्क तोड़ना, ताकि देश के युवाओं में नक्सलियों के प्रति संवेदना उत्पन्न न हो तथा वे इनके वास्तविक हिंसक चरित्र से परिचित हों।
- समाधान सिद्धांत (SAMADHAN DOCTRINE) के पश्चात् पुलिस और सुरक्षा बलों में समन्वय बढ़ा है, किंतु रियल टाइम इंटेलिजेंस अभी भी चिंता का विषय है। अत: इंटेलिजेंस तंत्र को बेहतर बनाना चाहिये।

वामपंथी उग्रवाद की समस्या का समाधान प्रभावित क्षेत्र के समावेशी विकास से ही है। इसके लिये भारत सरकार, राज्य सरकार और नागरिक प्रशासन को बेहतर समन्वय के माध्यम से नीति आयोग के '115 आकांक्षी जिले कार्यक्रम' को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिये।

2019

प्रश्न: जम्मू और कश्मीर में 'जमात-ए-इस्लामी' पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं (ओ.जी.डब्ल्यू.) की भूमिका ध्यान का केंद्र बन गई है। उपप्लव (बगावत) प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं द्वारा निभाई जा रही भूमिका का परीक्षण कीजिये। भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के उपायों की चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

The banning of 'Jamaat-e – islaami' in Jammu and Kashmir brought into focus the role of over-ground workers (OGWs) in assisting terrorist organizations. Examine the role played by OGWs in assisting terrorist organizations in insurgency affected areas. Discuss measures to neutralize the influence of OGWs

उत्तर: आतंकवाद नागरिकों में भय की एक सहज भावना पैदा करता है और विधि-व्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण को कमज़ोर करता है। अराजकता की यह स्थिति आतंकवादी समूहों को अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करती है। भूमि उपरि कार्यकर्त्ता/ओवरग्राउंड वर्कर्स (Overground Workers-OGWs) आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी समूहों और नेटवर्क को अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिये एक सहायता प्रणाली प्रदान करते हैं।

OGWs द्वारा निभाई गई भूमिका

- खाद्य और रसद समर्थन के द्वारा OGWs आतंकवादी नेटवर्क की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति में सहायता करते हैं।
- दुष्प्रचार और कट्टरपंथी आख्यान के माध्यम से ये आतंकी संगठनों को वैचारिक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं।
- असंतुष्ट युवाओं का पूल OGWs के लिये कट्टरपंथी दुष्प्रचार और नए रंगरूटों की भर्ती हेतु आकर्षित करता है।
- OGWs अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिये अलगाववादी नेताओं और संगठित अपराध नेटवर्क के साथ समन्वय करते हैं।
- अवैध व्यापार, जाली मुद्रा, कर चोरी और हवाला लेन-देन के माध्यम से OGWs अवैध धन के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इन निधियों का इस्तेमाल पत्थरबाज़ी जैसे राज्य विरोधी प्रदर्शनों को भड़काने के लिये भी किया जाता है।
- आतंकी हमले की योजना, खुफिया जानकारी, सुरक्षा मार्ग, नक्शे और अन्य इनपुट प्रदान करते हैं, जिनकी आतंकी कार्रवाई के लिये आवश्यकता होती है।

OGWs को निष्प्रभावी करने के उपाय

- प्रभावित समुदायों की वास्तविक चिंताओं को संबोधित करके और दुष्प्रचारों के विरुद्ध जागरूकता अभियानों के माध्यम से इन्हें बेअसर किया जा सकता है।
- आसूचना अवसंरचना मज़बूत कर OGWs और भर्ती एजेंटों द्वारा कट्टरपंथी प्रयासों की निगरानी की जाए ताकि आरंभ में ही इस प्रक्रिया पर अंकुश लगाया जा सके।
- मानव और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का उपयोग कर मौजूदा नेटवर्क में आतंकी प्रयासों को रोका जा सकता है।
- फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के माध्यम से आतंकवादियों और OGWs पर त्वरित सुनवाई के लिये सार्वजनिक सुरक्षा कानून जैसे अधिनियमों का अनुप्रयोग।

हालाँकि, केवल संदेह के आधार पर युवाओं पर मुकदमे चलाने हेतु कानूनी प्रावधान के दुरुपयोग से बचा जाना चाहिये। आतंकवाद के विरुद्ध सबसे बेहतर रक्षात्मक उपाय यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को एक समान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसर प्रदान किये जाएँ ताकि देश के विरुद्ध हथियार उठाने की उन्हें प्रेरणा न मिले।

प्रश्न: साइबरडोम परियोजना क्या है? स्पष्ट कीजिये कि भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में यह किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। (150 शब्द, 10 अंक)

What is the Cyber Dome Project? Explain how it can be useful in controlling internet crimes in India.

उत्तर: साइबरडोम परियोजना केरल पुलिस विभाग का एक तकनीकी अनुसंधान और विकास केंद्र है, जिसे साइबर सुरक्षा में उत्कृष्टता के साइबर केंद्र के साथ-साथ प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिये प्रौद्योगिकी आवर्द्धन के रूप में देखा जाता है।

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग के एक उच्च तकनीकी सार्वजनिक-निजी साझेदारी केंद्र और साइबर अपराधों से सक्रिय तरीके से निपटने के तंत्र के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है।

भारत में वर्ष 2011 से 2016 की अवधि में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत साइबर अपराध की घटनाओं में 457 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

साइबरडोम परियोजना भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में निम्न प्रकार से उपयोगी हो सकती है-

- यह परियोजना साइबर हमलों के बढ़ते खतरे से बचाव के लिये देश में एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के माध्यम से साइबर अपराधों को रोकने में मदद कर सकती है।
- साइबरडोम एक ऑनलाइन पुलिस गश्ती के रूप में कार्य करेगा। अपने एंटी-साइबर टेरर सेल और एक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण इकाई के माध्यम से इसके अधिकारी वास्तविक समय आधार पर विभिन्न साइबर खतरों पर खुफिया जानकारी एकत्र करेंगे और सोशल नेटवर्किंग साइटों सहित अन्य ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करके भगोड़े अपराधियों का पता लगाएंगे।
- यह चोरी और लापता हुए वाहनों और परिवहन दस्तावेज़ों का एक डिजिटल रिपॉज़िटरी बनाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध संगठनों की ओर धन के प्रभाव पर नियंत्रण के लिये ऑनलाइन भुगतान पर नज़र रखेगा और इस बाबत साइबर सुरक्षा सलाह जारी करेगा।
- साइबरडोम में सोशल मीडिया जागरूकता, इंटरनेट पर बच्चों की सुरक्षा, इंटरनेट निगरानी और सेवा वितरण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के केंद्र भी शामिल होंगे।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अन्य बैंकों, पेमेंट गेटवे और अन्य वॉलेट समूहों के साथ सहयोग से साइबरडोम वित्तीय धोखाधड़ी से निपट सकता है।
- अपने रैनसमवेयर स्कूल के माध्यम से, साइबरडोम रैनसमवेयर संक्रमण को समझते हुए उसका विश्लेषण और शमन कर सकता है, रैनसमवेयर से निपटने के लिये मानक संचालन प्रक्रियाओं का निर्माण कर सकता है, साथ ही, इसके निवारक कदमों के बारे में सरकारी विभागों और जनता के बीच जागरूकता पैदा कर सकता है।
- हाल ही में, साइबरडोम ने अतिवादी गतिविधियों के लिये इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले कट्टरपंथी समूहों की निगरानी हेतु अपनी पुलिस रणनीति की धुरी के रूप में सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग किया है। साथ ही 'ब्लू व्हेल' जैसे ऑनलाइन गेम के विरुद्ध सफल अभियान चलाया है एवं चाइल्ड पोर्नोग्राफी की घटनाओं को कम करने के लिये गुप्त साइबर निगरानी और घुसपैठ कार्यक्रम (Covert Cyber-Surveillance and Infiltration Programme) की शुरुआत भी की है।

इस प्रकार, साइबरडोम में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने की अपार क्षमता है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

प्रश्न: भारत सरकार ने हाल ही में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यू.ए.पी.ए.), 1967 और एन.आई.ए. अधिनियम के संशोधन के द्वारा आतंकवाद-रोधी कानूनों को मज़बूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का विरोध करने के विस्तार और कारणों पर चर्चा करते समय वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में, परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

The Indian government has recently strengthened the anti-terrorism laws by amending the unlawful activities (Prevention) Act (UAPA), 1967 and the NIA Act. Analyze the changes in the context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights organizations.

उत्तर: केंद्र सरकार द्वारा भारत की आतंकवाद-रोधी एजेंसी को अधिक शक्तियाँ देने व भारत के आतंकवाद-रोधी कानून का दायरा विस्तृत करने के उद्देश्य से हाल ही में एनआईए अधिनयम व यूएपीए में संशोधन प्रस्तावित किये गए, जिन्हें संसद द्वारा पारित किया गया। इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा मशीनरी को एक बड़ा बल मिलेगा।

- यूएपीए के तहत, केंद्र सरकार एक संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकती है, यदि वह- आतंकवाद के कृत्यों को अंजाम देता है या उनमें भाग लेता है; आतंकवाद के लिये तैयारी करता है; आतंकवाद को बढ़ावा देता है; या किसी अन्य रूप में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है। संशोधन द्वारा सरकार को किसी संगठन के अलावा इन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी के रूप में नामित करने की अनुमति मिली है।
- इसी तरह एनआईए अधिनियम में संशोधन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की जाँच शक्तियों को मानव तस्करी, जाली मुद्रा, निषिद्ध हथियारों के व्यापार और साइबर आतंकवाद तक विस्तृत करता है। ये पहले राज्य पुलिस के अधीन थे। संशोधन द्वारा एनआईए को भारत से बाहर घटित आतंकी घटनाओं की भी जाँच करने का अधिकार दिया गया है।
- पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद निरंतर एक चुनौती बना हुआ है तथा आतंकवादी संगठन इस क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डालने के लिये नए-नए तरीके अपना रहे हैं। इसमें अक्सर उन व्यक्तियों द्वारा नए आतंकवादी संगठनों का गठन शामिल होता है जिनके पिछले संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मसूद अज़हर को आतंकवादी के रूप में नामित करने के भारत के प्रयासों के दौरान यह मुद्दा सामने आया, जब कुछ विदेशी राजनयिकों ने भारत के घरेलू कानून पर सवाल उठाया था कि भारतीय कानून में किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब एक व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के प्रावधान से सरकार को ऐसी स्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, आतंक के वित्त पोषण और मानव तस्करी, साइबर आतंकवाद आदि जैसे संगठित अपराधों का खतरा बढ़ रहा है। एक सशक्त एनआईए इस दिशा में एक सराहनीय कदम है।
- हालाँकि, मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि ये संशोधन बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं तथा भारत को पुलिस स्टेट बनाने का प्रयास करते हैं।
- निर्दोषता की पूर्वधारणा एक सार्वभौमिक मानवाधिकार सिद्धांत माना जाता है, लेकिन यूएपीए ज़ब्त सबूतों के आधार पर आतंकवादी अपराधों के लिये अपराध की पूर्वधारणा बनाता है।
- इसके अलावा, एक आतंकवादी के रूप में नामित करने हेतु कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है। न्यायपालिका को प्रक्रिया से बाहर कर कार्यपालिका को नामित करने का अधिकार देकर, यह एक आतंकवादी और एक आतंकवाद के अभियुक्त के बीच के अंतर को कम करता है।
- इसी प्रकार, एनआईए अधिनियम में 'भारत के हितों को प्रभावित करने वाला' शब्द अपरिभाषित है तथा सिविल सोसाइटी को डर है कि इसका इस्तेमाल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिये किया जा सकता है।

इस प्रकार, हालाँकि मौजूदा सुरक्षा वातावरण के अनुरूप कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तथापि आतंकवाद से निपटने के लिये नीतिगत ढाँचे को मानवाधिकारों के हनन से बचाव और पीड़ितों को उपचार के लिये अधिक पहुँच प्रदान करना राज्य का कर्त्तव्य होना चाहिये। आतंकवाद से निपटने के अलावा, पुलिस बल की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और भारत के न्यायिक तंत्र को तीव्र बनाने पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।

प्रश्न: उत्तर-पूर्वी भारत में उपप्लवियों की सीमा के आरपार आवाज़ाही, सीमा की पुलिसिंग के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों में से केवल एक है। भारत-म्याँमार सीमा के आरपार वर्तमान में आरंभ होने वाली विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। साथ ही, चुनौतियों का प्रतिरोध करने के कदमों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

Cross-border movement of insurgents is only one of the several security challenges facing the policing of the border in North-East India. Examine the various challenges currently emanating across the India-Myanmar border. Also, discuss the steps to counter the challenges.

उत्तर: भारत और म्याँमार 1,643 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा और एक विस्तृत समुद्री सीमा साझा करते हैं, जो भारत के लिये दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। भारत-म्याँमार सीमा अत्यधिक छिद्रिल, कमज़ोर रूप से सुरक्षित और दूरस्थ, अविकसित, उग्रवाद-ग्रस्त तथा अफीम उत्पादक क्षेत्र के करीब अवस्थित है।

भारत-म्याँमार सीमा पर विभिन्न चुनौतियाँ

- भारत-म्याँमार सीमा क्षेत्र दर्ज़नों विद्रोही समूहों के लिये एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन गया है। ये विद्रोही समूह भारत में आक्रामक कार्रवाई करते हैं तथा अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देकर क्षेत्र में अस्थिरता लाते हैं और म्याँमार में आसानी से छिप जाते हैं।
- कलादान मल्टी-मॉडल परियोजना और आईएमटी (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना जैसी कई कनेक्टिविटी परियोजनाएँ चल रही हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर की प्रगति काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।
- भारत-म्याँमार सीमा पर आदिवासियों की घनी आबादी निवास करती है, तथा इन जनजातीय समुदायों के सीमा के पार सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध बहुत मज़बूत हैं और वे कृत्रिम सीमा रेखाओं को स्वीकार करने से प्रायः इनकार करते हैं।
- असम राइफल्स पर भारत-म्याँमार सीमा की रखवाली की ज़िम्मेदारी है, लेकिन इनकी अधिकांश बटालियन आतंकवाद-रोधी अभियानों में लगी हुई हैं। इसलिये यह सीमा-सुरक्षा बल की बजाय आतंकवाद-रोधी बल की तरह कार्य करता है।
- सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास का भौगोलिक इलाका अत्यधिक दुर्गम है, इसलिये संचार और संपर्क को विकसित करना काफी कठिन हो जाता है।

- 'गोल्डन ट्रायंगल' से निकटता ने भारत-म्याँमार सीमा को मादक पदार्थों की तस्करी के लिये अत्यधिक संवेदनशील बना दिया है तथा यह सीमा दक्षिण एशियाई देशों में महिलाओं और बच्चों की तस्करी का प्रवेश द्वार बन गई है।
- स्थानीय संसाधनों पर बढ़ते बोझ के कारण सीमांत अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय के अंतः प्रवाह ने इन क्षेत्रों में एक गंभीर सामाजिक-सांस्कृतिक टकराव पैदा कर दिया है।

चुनौतियों के समाधान हेतु प्रयास

- सीमा सुरक्षा हेतु ड्रोन प्रणाली जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग।
- एकीकृत चेक पोस्ट की व्यवस्था।
- भारत-म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स की भूमिका को और बढ़ाना।
- भारत और म्यांमार की सेनाओं के विद्रोही समूहों के खिलाफ ऑपरेशन सनराइज जैसी समन्वित ऑपरेशन आदि।

भारत और म्यांमार को अपने बीच आपसी विश्वास बढ़ाने के लिये नियमित विचार-विमर्श में शामिल होना चाहिये। शांतिपूर्ण सीमा स्थापित करने के लिये आर्थिक, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, रक्षा शिक्षा सांस्कृतिक जैसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाना चाहिये।

2018

प्रश्न : वामपंथी उग्रवाद में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, परंतु अभी भी देश के अनेक भाग इससे प्रभावित हैं। वामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का विरोध करने के लिये भारत सरकार के दृष्टिकोण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Left Wing Extremism (LWE) is showing a downward trend, but still affects many parts of the country. Briefly explain the Government of India's approach to counter the challenges posed by LWE.

उत्तर : वामपंथी उग्रवाद, जिसे वामपंथी आतंकवाद या कट्टरपंथी आंदोलनों के रूप में भी जाना जाता है, उन राजनीतिक विचारधाराओं और समूहों को संदर्भित करता हे जो हिंसक क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, वे लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ हैं।

भारत में स्थिति

- केंद्रीय ग्रह मंत्रालय के अनुसार वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में 76% की कमी आई है।
- इसके अतिरिक्त हिंसा के भौगोलिक प्रसार में भी कमी आई है, क्योंकि वर्ष 2010 में 96 जिलों की तुलना में वर्ष 2021 में केवल 46 जिलों में वामपंथी उग्रवाद की सूचना मिली है।

सरकारी पहल

- भारत सरकार सुरक्षा व विकास दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कार्य कर रही है।
- समाधान (SAMADHAN): यह वामपंथी उग्रवाद की समस्या का वन-स्टाफ समाधान है इसमें विभिन्न स्तरों पर बनाई गई अल्पकालिक नीतियों से लेकर दीर्घकालिक नीति तक सरकार की संपूर्ण रणनीति शामिल है।
  - S - स्मार्ट लीडरशिप
  - A - आक्रामक रणनीति
  - M - प्रेरणा और प्रशिक्षण
  - A - कार्रवाई योग्य बुद्धिमत्ता
  - D - डेशबोर्ड आधारित KPI (मुख्य प्रदर्शन संकेतक) और KRA (मुख्य परिणाम क्षेत्र)
  - H - प्रौद्योगिकी का उपयोग
  - A - प्रत्येक थिएटर के लिये कार्य योजना
  - N - वित्तपोषण तक पहुँच नहीं

आगे की राह

सामुदायिक जुड़ाव और संवाद: सरकार, सुरक्षा बलों और प्रभावित समुदायों के बीच संचार के खुले चैनलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

प्रश्न : अंकीयकृत (डिजिटाइज़्ड) दुनिया में बढ़ते हुए साइबर अपराधों के कारण डाटा सुरक्षा का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्णा समिति रिपोर्ट में डाटा की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर सोच-विचार किया गया है। आपके विचार में साइबर स्पेस में निजी डाटा की सुरक्षा से संबंधित इस रिपोर्ट की खूबियाँ और खामियाँ क्या-क्या हैं? (250 शब्द, 15 अंक)

Data security has assumed significant importance in the digitized world due to rising cyber crimes. The Justice B.N. Srikrishna Committee Report addresses issues related to data security. What, in your view, are the strengths and weaknesses of the Report relating to protection of personal data in cyber space.

उत्तर : हम जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक उतनी हो तेजी से साइबर अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके साथ-साथ इंटरनेट पर आज अपराध का एक समृद्ध संसार फल-फूल रहा है।

2018 में जस्टिस बी.एन. कृष्ण की अध्यक्षता में बनी समिति ने अपनी रिर्पोट सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपी तथा डाटा संरक्षण फ्रेमवर्क, पर ड्राफ्ट जारी किया।

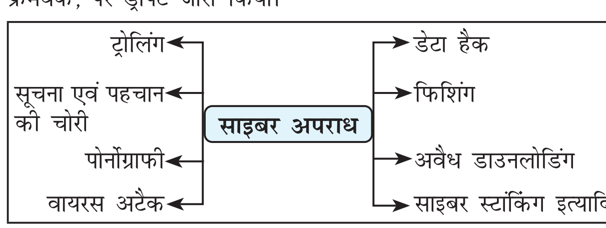

- समिति ने भारत में एक प्राधिकरण की स्थापना करने, व्यक्तिगत डाटा को परिभाषित करने तथा 'संवेदशील व्यक्तिगत डाटा' को भी स्पष्ट करने संबंधी प्रावधान किये हैं।

- ड्राफ्ट विधेयक में किसी व्यक्ति के डाटा का उपयोग करने के लिये उस व्यक्ति की 'स्पष्ट' 'सूचित', 'विशिष्ट' तथा 'मुफ्त' सहमति लेने की अनिवार्यता का प्रावधान है।
- किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में कठोर दंड की व्यवस्था की गई है।

आलोचना

विशेषज्ञों का यह भी विचार है कि इस कानून के माध्यम से सरकार डाटा पर हमले को रोकने से अधिक उस तक अपनी पहुँच सुनिश्चित करने पर बल दे रही है। बड़ी टेक कंपनियों द्वारा डाटा संग्रहण नियंत्रित करने के लिये बिल देश की सीमा में उत्पन्न डाटा की एक प्रति देश में रखने का आदेश देता है, परंतु एक प्रति सुरक्षित रखने के बाद भी इस डाटा को देश से बाहर ले जाया जा सकता है, इस संदर्भ में बिल में अस्पष्टता है।

समग्रत: डाटा सुरक्षा के प्रथम प्रयास के रूप में यह ड्राफ्ट स्वागत योग्य है तथा सरकार ने सभी हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करने के बाद ही इसे विधि का रूप देने की बात कही है। अत: इसमें सुधार के मार्ग खुले होना बेहतर डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

प्रश्न : संसार के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उगाने वाले राज्यों से भारत की निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं बंदूक बेचने, गुपचुप धन विदेश भेजने और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिये। इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या-क्या प्रतिरोधी उपाय किये जाने चाहिये? (250 शब्द, 15 अंक)

India's proximity to two of the world's biggest illicit opium-growing states has enhanced her internal security concerns. Explain the linkages between drug trafficking and other illicit activities such as gunrunning, money laundering and human trafficking. What counter-measures should be taken to prevent the same?

उत्तर : अफगानिस्तान व म्याँमार क्रमश: विश्व के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक देश हैं। इनके अतिरिक्त म्याँमार के पड़ोसी राष्ट्र थाईलैंड व लाओस मिलकर 'गोल्डन ट्राइएंगल' तथा अफगानिस्तान के निकट स्थित ईरान व पाकिस्तान 'गोल्डन क्रिसेंट' का निर्माण करते हैं।

- गोल्डन ट्राइएंगल तथा गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र विश्व की अधिकतर अफीम का उत्पादन करते है इस पूरे क्षेत्र के भारत के बहुत निकट स्थित होने के चलते भारत की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति और चिंताजनक हो जाती है।
- नशीली दवाओं के अवैध व्यापार का भारत पर दो संदर्भों में प्रभाव पड़ता है–
  - युवा पीढ़ी को नशीली दवाओं का व्यसनी बनाकर एक विकराल सामाजिक समस्या को जन्म देना, जैसा कि पंजाब व उत्तरी भारत में देखा जाता है।
  - इस अवैध व्यापार से होने वाली कमाई का उपयोग आतंकवाद व वामपंथी उग्रवाद जैसी गतिविधियों में किया जाना।
- सामान्यत: नशीली दवाओं के व्यापार में संक्षिप्त लोग व समूह धन शोधन, मानव तस्करी जैसे अपराधों को अपने कार्यों के साथ एकीकृत कर एक चक्र का निर्माण कर देते हैं। इससे संगठित अपराध का एक जटिल स्वरूप तैयार होता है।

उपाय

सर्वप्रथम उपाय सीमाओं की यथासंभव सशक्ततम सुरक्षा। इसके साथ ही इस पूरे आपराधिक अंतर्संबंध के हर घटक को कमज़ोर करने की दिशा में एक बहुआयामी तथा समन्वित रणनीति से काम किये जाने की आवश्यकता है।

उदाहरणार्थ: ड्रग्स के व्यापार रोकने के साथ ही युवाओं में इसके विरुद्ध जागरूकता फैलाना, धन शोधन नेटवर्क तथा मानव तस्करी को बाधित करने का प्रयास किया जाना। अवैध अफीम के उत्पादन रोकने के लिये अंतर्राष्ट्रीय एंव द्विपक्षीय स्तर पर प्रभावी कूटनीति प्रयास एवं बाह्य आसूचना तंत्र को सशक्त बनाया जाना चाहिये।

रणनीति बनाकर इन संगठित अपराध तंत्रों पर प्रहार एवं सरकारी प्रयासों का सुचारू क्रियान्वयन के माध्यम से अंजाम तक पहुँचाया जाना चाहिये।

2017

प्रश्न : भारत का उत्तर-पूर्वीय प्रदेश बहुत लम्बे समय से विद्रोह ग्रसित है। इस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की अतिजीविता के मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

The north-east region of India has been infested with insurgency for a very long time. Analyze the major reasons for the survival of armed insurgency in this region.

उत्तर : भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आजादी के पूर्व अन्य भारतीय क्षेत्र के साथ किसी भी प्रकार के राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, धार्मिक तथा व्यावसायिक संबंध न के बराबर थे। स्वतंत्रता के पश्चात् इस क्षेत्र में अलग राज्यों के निर्माण नृजातीय विद्वेष, भाषा, रोजगार, जनजातीय नियमों में हस्तक्षेप इत्यादि के आधार पर कई सशस्त्र आंदोलन हुये हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों में निरंतर सशस्त्र आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :

कारण
- शासकीय लोगों में व्यापक भ्रष्टाचार
- आदिवासी समुदायों में योग्य तथा दूरदर्शी नेतृत्व का अभाव
- विभिन्न बाह्य शक्तियों से सहायता
- शस्त्र तथा बारूद की प्रचुर उपलब्धता
- आदिवासी आबादियों के बीच पृथकता एवं पिछड़ा होने की भावना
- सीमा पार से घुसपैठियों के कारण आबादी के ढाँचे में परिवर्तन
- देश के अन्य लोगों तथा अन्य भागों से कटे होने की भावना
- अफस्पा तथा सैनिकों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग

अत: उत्तर पूर्वी राज्यों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने हेतु इस क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढाँचे के विकास प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग एवं अवैध व्यापार को रोकने हेतु प्रयास करने चाहिये। सरकार को इस क्षेत्र के लोगों में स्वामित्व और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिये निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिये।

प्रश्न: भीड़ हिंसा भारत में एक गंभीर कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में उभर रही है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए, ऐसी हिंसा के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिये। भीड़ हिंसा को रोकने के लिये उपाय सुझाइये।

(250 शब्द, 15 अंक)

Mob violence is emerging as a serious law and order problem in India. By giving suitable examples, analyze the causes and consequences of such violence. Suggest steps to curtail such mob violence.

उत्तर : भारत में विगत कुछ वर्षों से भीड़ हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई हैं। कभी गौरक्षा के नाम पर, कभी धर्म या जाति तो कभी वैचारिक भिन्नता के नाम पर ऐसी घटनाएँ देश के अधिकांश भागों में देखने को मिलती हैं।

उपर्युक्त कुछ घटनाएँ मात्र उदाहरण हैं, ऐसी घटनाएँ पूरे देश में विशेषत: उत्तर भारत में देखने को मिल रही हैं। इस प्रकार की घटनाओं के कारण और परिणाम निम्नलिखित हैं।

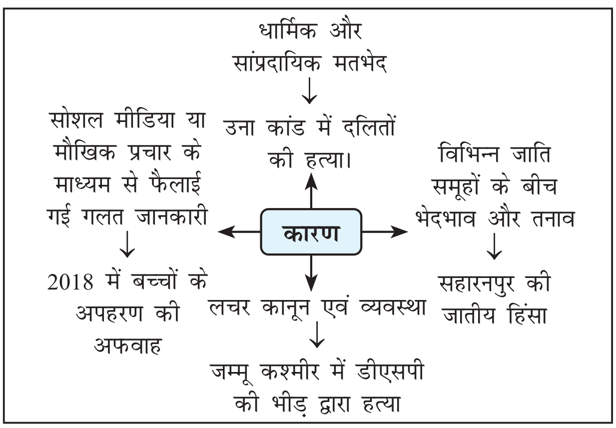

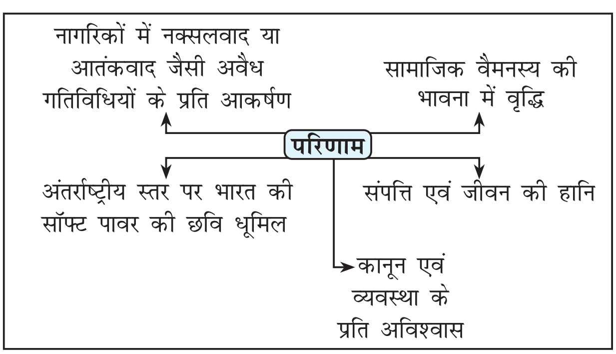

भीड़ हिंसा नागरिकों के अधिकारों पर चोट करती है। अत: सख्त कानूनों के निर्माण तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर गुनाहगारों को सजा देकर लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बनाए रखना चाहिये। समाज के सभी वर्गों द्वारा ऐसे कृत्यों का मुखर रूप से विरोध किया जाना चाहिये ताकि भारत को आदमखोर भीड़ तंत्र बदलने से रोका जा सके।

2016

प्रश्न: "पिछले कुछ दशकों से आतंकवाद एक प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में उभर रहा है।" उपर्युक्त कथन का विश्लेषण कीजिये। **(200 शब्द, 12½ अंक)**

"Terrorism is emerging as a competitive industry over the last few decades." Analyze the above statement.

उत्तर : UNO के अनुसार जब किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु लोगों/संगठनों/सरकार को कोई कार्य करने अथवा नहीं करने के ये विवश किये जाने के उद्देश्य से नागरिकों को मारने या गंभीर क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया कृत्य 'आतंकवाद' कहलाता है।

आतंकवाद के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि पिछले कुछ दशकों में इसमें प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग की कई विशेषताएँ पाई गई हैं, जो इस प्रकार हैं–

- जिस प्रकार उद्योग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वैसी ही आतंकवादी संगठन आतंकियों को पैदा करते हैं।
- उद्योगों की तरह आतंकवादी संगठनों का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण जैसे भूमि, श्रम (लड़ाके) व पूंजी (अवैध गतिविधियों से अर्जित)
- उद्योगों की तरह आतंकी समूहों में भी उन्नत उत्पादों के लिये प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे- वाहन बम, IED सुसाइड बॉम्बर आदि।
- उद्योग संगठनों की तरह आतंकियों की भी विभिन्न महाद्वीपों में शाखाएँ व कार्यालय हैं।
- सोशल मीडिया का प्रयोग भी उद्योगों की तरह ही आतंकवादी संगठन अपनी विचारधारा व उत्पाद के विपणन तथा नए कर्मचारियों की भर्ती के लिये करते हैं।
- उद्योग संगठनों की तरह आतंकवादी समूह भी अपने लड़ाकों/कर्मचारियों को वेतन, आवास की सुविधा देते हैं।
- उद्योगों की तरह आतंकी संगठन भी कार्य के तरीकों में भी नवाचार का प्रदर्शन कर रहे हैं।
- उद्योगों की तरह आतंकवादी संगठन भी आधुनिक तकनीकों से लैस हैं।

हालांकि आतंकवादी संगठनों और उद्योगों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि जब पारंपरिक उद्योगों, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है तो इसका उद्देश्य मानव जाति को लाभ पहुँचाना व काम को आसान बनाना होता है, जबकि आतंकवाद हिंसा का सहारा लेकर केवल भय, नफरत और अनिश्चितता फैलाता है।

अत: यह कहा जा सकता है कि पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद एक प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में उभरा है जो पश्चिमी विकसित देशों की एक सोची-समझी राजनीति रही है। इनका उद्देश्य इन क्षेत्रों के ऊर्जा संसाधनों (उदाहरण- पेट्रोलियम पदार्थो) पर नियंत्रण स्थापित करना तथा अपने शस्त्र उद्योग के लिये एक बड़े बाज़ार का निर्माण करना रहा है। इस आतंकवाद से निपटने के लिये विश्व स्तर पर आपसी सहयोग तथा भारत द्वारा प्रस्तावित कांप्रिहेंसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल टेररिज़्म को स्वीकृति देना इस दिशा में एक सही कदम होगा।

प्रश्न : दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिये।

(200 शब्द, 12½ अंक)

Border management is a complex task due to difficult terrain and hostile relations with some countries. Elucidate the challenges and strategies for effective border management.

उत्तर : सीमापार अपराधियों द्वारा अवैध प्रवेश और निकास के खिलाफ भूमि वायु और तटीय सीमा रेखाओं सहित सभी प्रवेश और विकास सीमा पार बिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सीमा प्रबंधन कहलाता है। भारत 15,106 किमी., जो ज़मीनी सीमा तथा 7516 किमी. की तटीय सीमा को धारा किये हुये हो। इतने वृहत् सीमा क्षेत्र का प्रबंधन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

सीमा प्रबंधन की प्रमुख चुनौतियाँ

- अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कई जगह बाड़बंदी नहीं की गई है तथा सीमाएँ छिद्रयुक्त है।
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ हर जगह हर समय कनेक्टिविटी नहीं है।
- भारत-नेपाल की खुली सीमा का आई.एस.आई. द्वारा दुरुपयोग
- सीमा संबंधी ऐतिहासिक विवाद, जैसे- भारत, चीन, भारत-पाकिस्तान
- पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को उपलब्ध करना, बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करना भी एक चुनौती है।
- बारहमासी सड़कों का अभाव।
- तकनीकी उपकरणों को उपलब्ध करवाना भी एक प्रमुख चुनौती है।
- अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण न होना।

इन चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार ने निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाया है-

चुनौतियों के समाधान हेतु उपाय

- सरकार ने सीमा प्रबंधन के लिये बाड़बंदी, सड़क निर्माण, बाड़ों पर तेज रोशनी की व्यवस्था आदि किये हैं।
- तटीय सुरक्षा के लिये त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और कर सीमा को मज़बूत करने का प्रयास
- तकनीकी उपकरणों का बेहतर उपयोग।
- सीमा के आस-पास के लोगों से बेहतर संवाद स्थापित करने का प्रयास।
- संयुक्त सैन्याभ्यास से आपसी संबंधों में मजबूती
- पड़ोसी देशों के साथ व्यापार बढ़ने से एक-दूसरे पर निर्भरता एवं सामाजिक गतिशीलता बढ़ेगी।
- ग्रामीण स्वयंसेवी बल का गठन।
- पड़ोसी देशों के साथ सीमा-विवाद के समाधान की प्रक्रिया को तेज करना, उदा. बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट आदि

अत: कहा जा सकता है कि आतंकवाद, अलगाववाद जैसी समस्याओं से प्रभावी रूप से निपटने में सीमा प्रबंधन की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। सीमाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिये एक बल एक सीमा उन्नत प्रौद्योगिकी लेजर फेसिंग तथा हवाई निगरानी के साथ-साथ पड़ोसी देशों से सीमा विवाद सुलझाने जैसे कदम और प्रभावी हो सकते हैं।

प्रश्न : उग्र अनुसरण (Hot Pursuit) एवं शल्यक प्रहार (Surgical Strike) पदों का प्रयोग प्राय: आतंकी हमलों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के लिये किया जाता है। इस प्रकार की कार्रवाइयों के युद्धनीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिये।

(200 शब्द, 12½ अंक)

The terms 'Hot Pursuit' and 'Surgical Strikes' are often used in connection with armed action against terrorist attacks. Discuss the strategic impact of such actions.

उत्तर : शत्रु की सीमाओं के भीतर, आसपास के क्षेत्र तथा सामान्य नागरिकों को अधिक क्षति पहुँचाए बिना अपने लक्ष्य विशेष (Specific Target) पर तीव्र एवं लक्षित प्रहार कर उसे नष्ट (या प्रभावहीन) कर देना 'शल्यक प्रहार' (Surgical Strike) कहलाता है, जैसा कि भारतीय सैन्य बलों ने उरी हमले के पश्चात् पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी शिविरों के विरुद्ध किया था। इसी प्रकार, पीछे हटते शत्रु का पीछा कर (चाहे वह दूसरे देश की सीमा के भीतर ही क्यों न हो) उसके विरुद्ध कार्रवाई करना 'उग्र अनुसरण' (Hot Pursuit) कहलाता है, जैसा कि भारतीय सशस्त्र बल ने नगा विद्रोहियों के विरुद्ध म्याँमार की सीमा के भीतर किया था।

वर्तमान में तीव्र होती सीमापार आतंकवादी गतिविधियों तथा उत्तर-पूर्व में विद्रोही तत्त्वों के हमलों की वीभत्सता ने भारत को ऐसे सैन्य अभियानों के लिये विवश किया है। अत: भारत सरकार ने 'सामरिक संयम' (Strategic Restraint) की नीति को शिथिल करते हुए आक्रामक रुख अपनाया और 'उग्र अनुसरण' तथा 'शल्यक प्रहार' जैसी सैन्य कार्रवाइयों की अनुमति प्रदान की। 'उग्र अनुसरण' तथा 'शल्यक प्रहार' जैसी सैन्य कार्रवाइयों के निम्नलिखित युद्धनीतिक (Strategic) प्रभाव हो सकते हैं-

सकारात्मक प्रभाव

इस प्रकार की कार्रवाइयों में आतंकी घुसपैठ की कोशिश को कम किया जा सकता है, जिससे सीमा क्षेत्र में दीर्घकाल तक शांति बनी रह सकती है।

विश्व पटल पर एक सॉफ्ट पॉवर वाले राष्ट्र की जगह सैन्य क्षमता में एक ताकतवर देश के रूप में पहचान प्राप्त होती है।

ऐसी कार्रवाइयों से अन्य देशों को संदेश पहुँचता है कि वे अपने देश में आतंकी संगठनों को प्रोत्साहित न करें।

इस प्रकार की कार्रवाई से शत्रु के क्षेत्र को भेदने की सेना की क्षमता का प्रदर्शन होता है और युद्ध के समय ऐसी क्षमता का उपयोग किया जा सकता है।

ऐसी कार्रवाइयों से आतंकियों/विद्रोहियों में डर उत्पन्न होता है कि उनके विरुद्ध भी 'प्रतिघात' हो सकता है। उदाहरणस्वरूप नगा विद्रोहियों के संदर्भ में भारतीय सेना द्वारा किया गया 'उग्र अनुसरण' एक सबक के समान था। इससे पूर्व वे सोचते थे कि खुली सीमा (Porous Border) होने के कारण वे हमेशा दूसरे देश में भाग जाएंगे और भारत सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी।

नकारात्मक प्रभाव

पड़ोसी देशों के साथ भारत के जो संबंध हैं, वे तनावपूर्ण हो सकते हैं।

ऐसी गतिविधियाँ अंतर्राष्ट्रीय विवाद को जन्म दे सकती हैं, क्योंकि इनसे किसी दूसरे देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।

विपक्षी सैन्य बल द्वारा भी समान कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की जा सकती है, जो अंतत: पूर्ण युद्ध में बदल सकता है।

भारत जैसे देश के संदर्भ में ऐसी सैन्य कार्रवाई कश्मीर मुद्दे को प्रभावित कर सकती है। साथ ही चीन तथा पाकिस्तान गठबंधन को भी मज़बूती प्रदान कर सकती है।

स्पष्ट है कि 'उग्र अनुसरण' और 'शल्यक प्रहार' जैसी गतिविधियाँ सकारात्मक परिणामों के साथ-साथ कुछ चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करती हैं। किंतु कभी-कभी अत्यधिक शांतिप्रियता की प्रवृत्ति को कमज़ोरी समझ लिया जाता है। अत: भारत को समय-समय पर इस तरह का आक्रामक रुख अपनाकर विद्रोहियों/आतंकियों को प्रति-संतुलित करने का प्रयास करना चाहिये। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में ध्यान देने पर हम पाते हैं कि रूस तथा इज़राइल ने हाल में अपने इसी प्रकार के आक्रामक रुख के चलते किसी बड़े आतंकी हमले को रोकने में सफलता पाई है।

2015

प्रश्न : डिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक मतारोपण का परिणाम भारतीय युवकों का आई.एस.आई.एस. में शामिल हो जाना रहा है। आई.एस.आई.एस. क्या है और उसका ध्येय (लक्ष्य) क्या है? आई.एस.आई.एस. हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये किस प्रकार खतरनाक हो सकता है?

(200 शब्द, 12½ अंक)

Religious indoctrination via digital media has resulted in Indian youth joining the ISIS. What is ISIS and its mission? How can ISIS be dangerous for the internal security of country?

उत्तर : आई.एस.आई.एस. (इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया) इराक एवं सीरिया में संक्रिय एक कट्टरपंथी सुन्नी आतंकी सैन्य समूह है। यह अपने आतंकी हमलों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के ऊपर अमावनीय अत्याचारों तथा सरकारों से संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर हमेशा चर्चा में बना रहता है।

इस समूह का प्रमुख लक्ष्य एक सुन्नी इस्लामिक देश की स्थापना करना है, साथ ही विश्व को मुस्लिम संगठन एवं मुसलमानों को इस सुन्नी इस्लामिक देश या खिलाफत की आज्ञा मानने पर ज़ोर देता है।

अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ISIS डिजिटल मीडिया का उपयोग कर अपने कट्टरपंथी विचारों का प्रचार-प्रसार करता है तथा धार्मिक मतारोपण के लिये प्रोत्साहित करता है। ऐसे में कुछ युवाओं में मौजूदा व्यवस्था के प्रति असंतोष, समुदाय विशेष के प्रति घृणा, कट्टरवादी सोच, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा एवं कुछ कर गुजरने का जुनून बड़ी सफलता से इन्हें कट्टरपंथी विचारों की तरफ आकर्षित कर लेता है और इससे प्रभावित हो, ये युवा ISIS से जुड़ जाते हैं।

युवाओं का इस्लामिक स्टेट से जुड़ना भारतीय आंतरिक सुरक्षा के लिये बेहद खतरनाक है तथा इसके तात्कालिक एवं दूरगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं-

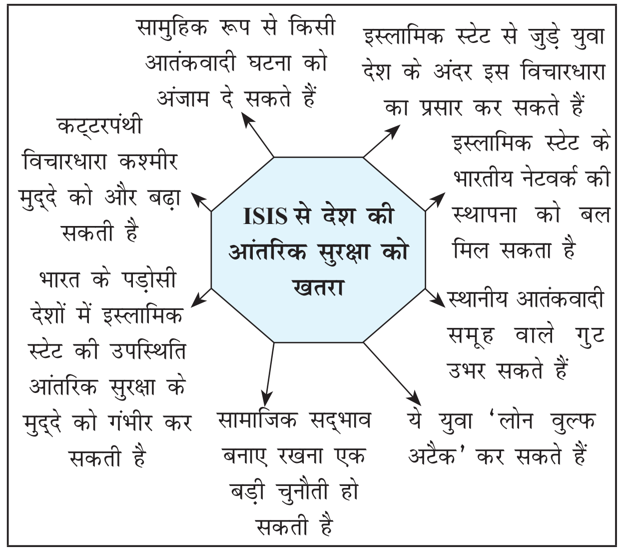

इस्लामिक स्टेट द्वारा डिजिटल मीडिया के माध्यम से नवयुवकों के ऊपर धार्मिक मतारोपण की समस्या को निम्न उपायों से रोका जा सकता है-

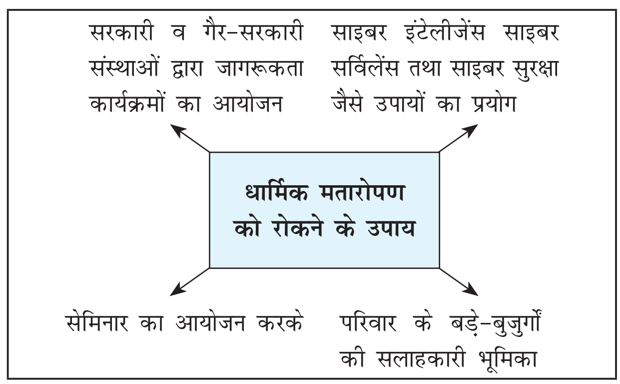

अत: कहा जा सकता है कि ISIS एक क्रूर मानसिकता वाला जिहादी संगठन है, जो भारत व समूचे विश्व के लिये एक बड़ा खतरा है। भारत को इसे रोकने के लिये एक **एक्शन प्लान** बनाने के साथ-साथ **सेमिनार** आयोजित कर युवाओं को **सूफी व बहावी परंपराओं** का मर्म बताना चाहिये।

प्रश्न : पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों, जिनको अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है, का विलगन (अलग करना) है। मल्कानगिरि और नक्सलबाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक संवृद्धि की मुख्यधारा में फिर से लाने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

The persisting drives of the Government for development of large industries in backward areas have resulted in isolating the tribal population and the farmers who face multiple displacements. With Malkangiri and Naxalbari foci, discuss the corrective strategies needed to win the Left Wing Extremism (LWE) doctrine affected citizens back into the mainstream of social and economic growth.

उत्तर : विकास प्रेरित विस्थापन और पुनर्स्थापन तब होती है जब लोगों को बांध निर्माण, सड़क निर्माण, खनन कार्य तथा औद्योगिक संयंत्र की स्थापना आदि गतिविधियों के कारण अपना मूल स्थान (निवास स्थान) छोड़ने के लिये मजबूर होना पड़ता है। ऐसी ही विकास प्रेरित विस्थापन 1960 के दशक में मल्कानगिरी (उड़ीसा) तथा नक्सलबाड़ी (पश्चिम बंगाल) में देखा गया, जहाँ से उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई।

यह सत्य है कि उद्योगों के निर्माण के पूर्व तथा निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापन तथा गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, सरकारी सुविधाओं का अभाव जैसी समस्याएँ इन क्षेत्रों में विद्यमान रही हैं। किंतु वामपंथी उग्रवादियों ने इन्हें सरकारी व्यवस्था की विफलता तथा सरकार के शोषणकारी चरित्र से जोड़कर लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया और उन्हें गुमराह करने की कोशिश की है, जिसने देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न किया है। इन खतरों से निपटने के लिये सरकार ने निम्नलिखित रणनीतियों पर बल दिया है–

महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम एवं कानून का क्रियान्वयन

- मीडिया योजना के तहत प्रभावित राज्यों में आकाशवाणी पर गीत, नाटकों के माध्यम से बताने का प्रयास किस प्रकार सरकार की स्कीमों को वामपंथी रोक रही है।
- मनरेगा: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गरीब जनजातियों को रोज़गार व आय में वृद्धि के लिये।
- पेसा अधिनियम 1996 यह 5वीं अनुसूची से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों को कुछ विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है।
- अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 लघु वन उपजों पर जनजातियों के अधिकारों को मान्यता देता है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान आदि से इन क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होगा।
- सिविक कार्रवाई कार्यक्रम द्वारा स्थानीय लोगों तथा सुरक्षा बलों के बीच संबंध स्थापित करना है।
- समाधान (SAMADHAN) पहल–यह नक्सल समस्या से निपटने के लिये 8 सूत्रीय कार्य योजना है।
- सपर्पण एवं पुनर्वास नीति के माध्यम से तत्काल अनुदान।

स्पष्ट है कि नक्सलवाद समस्या अब मात्र आर्थिक व सामाजिक समस्या न होकर एक राजनीतिक समस्या भी बन गई है, जिसका लाभ राजनीतिक दल क्षेत्रीय मुद्दों को भुनाने में करते हैं, इसलिये जनजातीय उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट से जोड़ने तथा शिक्षा, रोज़गार, अवसंरचनात्मक विकास व आपसी संवाद को बढ़ावा देने जैसी नीतियों पर बल देकर इसका प्रभावी समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रश्न : विचार करते हुए कि साइबरस्पेस देश के लिये खतरा प्रस्तुत करता है, भारत को ऐसे अपराधों को रोकने के लिये एक 'डिजिटल सशस्त्र बल' की आवश्यकता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन में दिखाई देने वाली चुनौतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए, इस नीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

Considering the threats cyberspace poses for the country, India needs a "Digital Armed Force" to prevent crimes. Critically evaluate the National Cyber Security Policy, 2013 outlining the challenges perceived in its effective implementation.

उत्तर : दुनिया भर में फैले कंप्यूटर संचार नेटवर्क तथा उसके चारों ओर फैली सूचनाओं के भंडार को 'साइबर स्पेस' कहते हैं। यह कंप्यूटर जगत की एक आभासी दुनिया है– साइबर स्पेस यूजर की जानकारी साझा करने, बातचीत करने, व्यापार करने तथा सामाजिक मंचों में शामिल होने जैसी गतिविधियों की अनुमति देता है।

विश्व के अन्य देशों के समान ही भारत भी आर्थिक, प्रशासनिक सोशल मीडिया आदि क्षेत्रों में इंटरनेट के माध्यम से साइबरस्पेस से जुड़ा हुआ है, किंतु गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं तथा प्रतिद्वंद्वी देशों द्वारा महत्त्वपूर्ण सूचनाओं से छेड़छाड़, उनकी चोरी, परिवर्तन अथवा नष्ट कर देने के प्रयासों के कारण भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन खतरों को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है जिसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

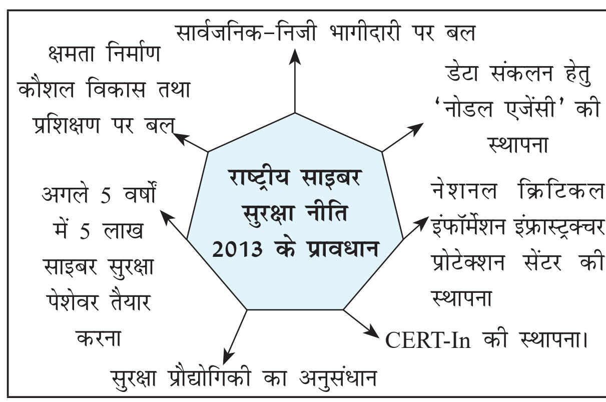

यद्यपि 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013' हमारे देश के साइबरस्पेस को सुरक्षित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है, तथापि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जो इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये चुनौती के रूप में हैं, जो इस प्रकार हैं–

- सूचना तकनीक (संशोधन) तथा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में टकराव की संभावना।
- केंद्रीय नोडल एजेंसी जैसे केंद्रीकृत ढाँचे के अंतर्गत रखा गया डेटा अधिक सुभेद्य हो सकता है।
- नवीन तकनीकों (जैसे क्लाऊड कंप्यूटिंग) से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों पर ध्यान नहीं।

- राज्य विरोधी तत्त्वों द्वारा डाटा के दुरुपयोग पर इस नीति में विशेष ध्यान नहीं दिया गया।
- 5 लाख पेशेवरों को तैयार करने की कोई विशेष योग्यता नहीं बनाई गई।
- स्वदेशी तकनीकों के विकास के लिये अत्यधिक वित्त व बेहतर अवसंरचनात्मक ढाँचे की आवश्यकता होगी।
- राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम निजता के अधिकार का मुद्दा।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि साइबर स्पेस वरदान व अभिशाप दोनों की भूमिका में है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग किन उद्देश्यों के लिये किया जा रहा है। भारत में इनकी सीमाओं से बचने के लिये क्वांटम प्रौद्योगिकी टेक्नोडिप्लोमेसी तथा सरकारी साइबर सुरक्षा जैसे पहलुओं को भी अपनाने की आवश्यकता है।

प्रश्न : मानवाधिकार सक्रियतावादी लगातार इस विचार को उजागर करते रहे हैं कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (ए.एफ.एस.पी.ए.) एक क्रूर अधिनियम है, जिससे सुरक्षा बलों के द्वारा मानवाधिकार दुरुपयोगों के मामले उत्पन्न होते हैं। इस अधिनियम की कौन-सी धाराओं का सक्रियतावादी विरोध करते हैं? उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्यक्त विचार के संदर्भ में इसकी आवश्यकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

Human rights activists constantly highlight the view that the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (AFSPA) is a draconian act leading to cases of human rights abuses by the security forces. What sections of AFSPA are opposed by the activists? Critically evaluate the requirement with reference to the view held by the Apex Court.

उत्तर : सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 देश के अशांत क्षेत्रों में प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु सेना को अतिरिक्त अधिकार देता है। इस अधिनियम को लाने का मुख्य कारण स्वतंत्रता पश्चात् पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में अलगावादी समूहों द्वारा की गई हिंसा तथा नवसृजित देश की अखंडता को बचाना था। इस अधिनियम का विस्तार 1990 में जम्मू कश्मीर में किया गया था।

इस कानून की वैधता तथा इसमें उल्लिखित विभिन्न धाराओं को क्रियान्वयन पर मानवाधिकार संगठन, अलगाववादी और राजनीतिक दल सवाल उठाते रहे हैं। ये धाराएँ निम्नलिखित हैं–

- केंद्र सरकार को किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, जिसमें राज्य सरकारों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती।
- सेना को बिना वारंट तलाशी लेने, हिरासत में लेने एवं जवाबी कार्रवाई में हथियारों के प्रयोग का अधिकार है।
- संबंधित व्यक्ति को संपत्ति को जब्त करने एवं गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।
- इन मामलों में अभियोजन की अनुमति केवल केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति के बाद ही होती है।

उपर्युक्त धाराओं का मानवाधिकार सक्रियतावादी निम्नलिखित कारणों से विरोध कर रहे हैं–

- ये धाराएँ सेना को अत्यधिक अधिकार प्रदान करती है।
- जीवन रेड्डी समिति ने भी इस कानून की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया था।
- मणिपुर में सैनिक कारवाई से क्षुब्ध होकर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि AFSPA के तहत प्रदान अधिकार आतंकवाद से प्रभावी रूप से लड़ने हेतु हैं, लेकिन यह न्यायेतर हत्याओं की मंजूरी नहीं देता है।

AFSPA निश्चित रूप से एक कड़ा कानून है, लेकिन उग्रवादियों द्वारा पैदा की जा रही चुनौतियाँ बहुत गंभीर हैं। इसके साथ ही अन्य कई समस्याएँ उग्रवादियों से निपटने में मुश्किलें पैदा करती हैं, जैसे–

- उग्रवादियों की छापामार एवं गुरिल्ला युद्ध पद्धति।
- उग्रवादियों द्वारा अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग।
- दुर्गम भौगोलिक स्थिति।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक देश में ऐसे कड़े कानून विरोधाभास पैदा करते हैं किंतु देश की आंतरिक सुरक्षा एवं अखंडता को बनाए रखने के लिये यह जरूरी है कि देश विरोधी तत्त्वों का प्रभावी रूप से सामना करने के लिये कड़े कानून हों। इस संदर्भ में AFSPA निश्चित रूप से एक अनिवार्य कानून है, किंतु इसके क्रियान्वयन में अति सावधानी अपेक्षित है।

2014

प्रश्न : 2012 में समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के लिये देशांतरी (लांगिट्यूडनल) अंकन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अरब सागर में 65 डिग्री पूर्व से 78 डिग्री पूर्व तक खिसका दिया गया था। भारत के समुद्री सुरक्षा सरकारों पर इसका क्या परिणाम है? (200 शब्द, 12½ अंक)

In 2012, the longitudinal marking for high-risk areas for piracy was moved from 65 degrees east to 78 degrees east in the Arabian Sea by the International Maritime Organisation. What impact does this have on India's maritime security concerns?

उत्तर : समुद्र पर यात्रा कर रही नौका और उसके मुसाफिरों पर हुई डकैती या हिंसात्मक चोरी को समुद्री डकैती कहा जाता है। समुद्री डकैती करने वाले अपराधियों में जलदस्यु कहा जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के लिये अरब सागर में देशांतरी अंकन का 65° पूर्व से 78° पूर्व के कारण सोमालिया के निकट बढ़ती समुद्री डकैती है, जो कभी-कभी लक्षद्वीप तक विस्तारित हो जाती है।

इस निर्णय का भारतीय समुद्री सुरक्षा सरोकारों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा–

- भारत के पश्चिमी समुद्री तट भी उच्च जोखिम क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा।
- नए वर्गीकरण में उच्च जोखिम वाले क्षेत्र को 12 समुद्री मील को प्रादेशिक जल क्षेत्र को छोड़कर, भारतीय तट के करीब तक विस्तार किया गया है।
- यह स्थानीय मछुआरों के साथ संघर्ष के प्रति सुमेध करेगा।
- इन क्षेत्रों में आवागमन करने वाले जहाजों की बीमा राशि में तीव्र वृद्धि होगी।
- इससे नौसेना की सामरिक चुनौती बढ़ेगी तथा उसके ऊपर दबाव उत्पन्न होगा।

हालाँकि वर्ष 2015 में उच्च जोखिम क्षेत्र का पुनर्निर्धारण कर इसे 65° पूर्व पर पुनः स्थापित कर दिया गया, जिससे भारत की संबंधित चिंताएँ कम हो गई हैं साथ ही भारत ने P-81 एयरक्राफ्ट की तैनाती, जहाजों में सशस्त्र गार्ड की तैनाती व समुद्री डकैती विरोधी विधेयक जैसे कदम भी उठाये हैं, जो सराहनीय है।

प्रश्न : "बहुधार्मिक व बहुजातीय समाज के रूप में भारत की विविध प्रकृति, पड़ोस में दिख रहे अतिवाद के संघात के प्रति निरापद नहीं है।" ऐसे वातावरण के प्रतिकार के लिये अपनाई जाने वाली रणनीतियों के साथ विवेचना कीजिये।

(200 शब्द, 12½ अंक)

"The diverse nature of India as a multi-religious and multi-ethnic society is not immune to the impact of radicalism which is seen in her neighbourhood." Discuss along with strategies to be adopted to counter this environment.

उत्तर : सामाजिक विविधता एक विशेष समाज में धर्म, संस्कृति, भाषा, नस्ल एवं आर्थिक स्थिति आदि के मामले में देखी जाने वाली भिन्नता है। बहुधार्मिक व बहुजातीय समाज में कट्टरपंथी एवं अतिवादी विचारों के प्रचार-प्रसार की संभावना सदैव उपस्थित रहती है। ये संभावना तब और बढ़ जाती है, जब किसी देश के पड़ोस में स्वयं इन विचारों का पोषण व संवर्द्धन हो रहा हो।

भारत में पड़ोसी देशों-पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आदि में इन अतिवादी विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, जैसे-

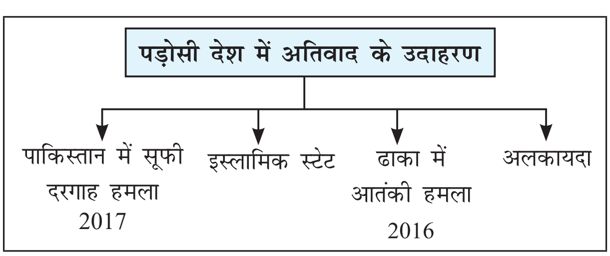

इन अतिवादी विचारों से प्रभावित होकर महाराष्ट्र एवं केरल के युवा सीरिया एवं इराक जाकर ISIS ज्वाइन कर रहे हैं तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी युवा ISIS के झंडे लहरा रहे हैं।

इस प्रकार की परिस्थितियाँ और गंभीर न हो, इसके लिये भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ विशेष प्रयास कर रही हैं-

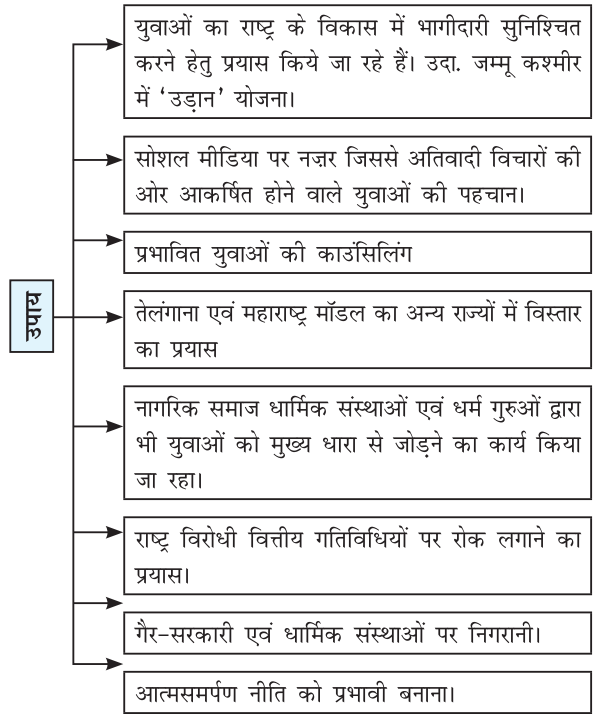

अंततः यह कहा जा सकता है कि इस वैश्विक समस्या का समाधान समाज में जागरूकता, प्रशासनिक दक्षता, शिक्षा आदि के विकास के साथ-साथ नैतिक मूल्यों का विकास, राष्ट्रप्रेम की भावना तथा 'वसुधैव कुटुंबकम्' आदि की अवधारणा को बढ़ावा देने से ही किया जा सकता है। इसके साथ ही चुनावों में धार्मिक तुष्टीकरण की नीति को भी तिलांजलि देनी होगी।

प्रश्न : अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन नियम सभी देशों को अपने भू-भाग के ऊपर के आकाशी क्षेत्र (एयरस्पेस) पर पूर्ण और अनन्य प्रभुता प्रदान करते हैं। आप 'आकाशी क्षेत्र' से क्या समझते हैं? इस आकाशी क्षेत्र के ऊपर के आकाश के लिये इन नियमों के क्या निहितार्थ हैं? इससे प्रसूत चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और खतरे को नियंत्रण करने के तरीके सुझाइये।

(200 शब्द, 12½ अंक)

International civil aviation laws provide all countries complete and exclusive sovereignty over the airspace above their territory. What do you understand by 'airspace' What are the implications of these laws on the space above this airspace? Discuss the challenges which this poses and suggest ways to contain the threat.

उत्तर : 'आकाशी क्षेत्र' एक देश के भू-क्षेत्र और उसके प्रादेशिक जल क्षेत्र के ऊपर के संप्रभु वायुमंडल को संदर्भित करता है, जो उस देश के द्वारा नियंत्रित होता है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन नियम इन्हीं आकाशी क्षेत्रों में नागरिक विमानों के संचालन से संबंधित है।

आकाशी क्षेत्र के ऊपर आकाश के लिये नियम

- **क्षैतिज विस्तार**
  - किसी देश की तटरेखा से 12 समुद्री मील तक
- **उर्ध्वाधर विस्तार**
  - इंटरनेशनल एयरोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा काल्पनिक रेखा 100 किमी. ऊँचाई पर
  - अमेरिका द्वारा निर्धारण 80 किमी. की ऊँचाई

किंतु ये निर्धारण कानूनी मान्यता प्राप्त सार्वभौमिक स्वीकृति पर आधारित नहीं है

बाह्य अंतरिक्ष नियमन की आवश्यकता को देखते हुये 1967 में बाह्य अंतरिक्ष संधि लाई गई, जो अंतरिक्ष कानून हेतु मूलभूत ढाँचा प्रदान करती है। इस संदर्भ में कहा गया है कि–

- 'बाह्य अंतरिक्ष' सभी राष्ट्रों की खोज के लिये स्वतंत्र है।
- बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र किसी भी देश की राष्ट्रीय संप्रभुता के भाग नहीं होंगे।
- यह संधि परमाणु हथियारों की तैनाती पर भी रोक लगाती है।

किंतु अंतर्राष्ट्रीय समझौते/संधियों के अंतर्गत आकाशी क्षेत्र तथा 'बाह्य अंतरिक्ष' के बीच किसी सीमा का निर्धारण नहीं होने के कारण एक अस्पष्टता की स्थिति बनी हुई है, जैसे अमेरिका का एक अंतरिक्षयान नीचे उतरने के क्रम में कनाडा के आकाश में 8 किमी. ऊँचाई तक पहुँच गया था और इसके लिये कनाडा की अनुमति भी नहीं ली गई थी।

अतः कहा जा सकता है कि राष्ट्रों की संप्रभुता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागर विमानन संबंधी कानूनों में स्पष्टता की आवश्यकता है। इसके लिये ऐसे कानूनों-समझौतों को लागू किया जाना चाहिये, जो वैश्विक सहमति के आधार पर निर्मित हुये हों।

प्रश्न: भारत की सुरक्षा को गैर-कानूनी सीमापार प्रवसन किस प्रकार एक खतरा प्रस्तुत करता है? इसे बढ़ावा देने के कारणों को उजागर करते हुए ऐसे प्रवसन को रोकने की रणनीतियों का वर्णन कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

How does illegal transborder migration pose a threat to India's security? Discuss the strategies to curb this, bringing out the factors which give impetus to such migration.

उत्तर: अपने मूल निवास को छोड़ कर किसी दूसरी जगह रहना या बसना प्रवसन कहलाता है। जब यह प्रवसन कानूनी रूप से एक देश से दूसरे देश की भौगोलिक सीमा में होता है तो इसे गैर-कानूनी सीमापार प्रवसन कहा जाता है। इसमें प्रवासी लोग गंतव्य देश के आव्रजन कानून एवं राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। लंबे समय तक ज्यादा संख्या में प्रवसन होने से आंतरिक सुरक्षा पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है–

गैर-कानूनी प्रवासियों से खतरा

- हथियारों, नकली नोटों एवं नशीली दवाइयों की तस्करी में वृद्धि कई राज्यों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुआ है।
- कानून और व्यवस्था पर तनाव।
- राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ, इनका दुरुपयोग उत्तर-पूर्व के राज्यों को अस्थिरता के लिये कर सकती है।
- फर्जी पहचान पत्र, दस्तावेज़ आदि की चुनौतियाँ।
- कट्टरपंथी समूहों द्वारा प्रवासियों का दुरुपयोग।
- राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में बढ़ोतरी।

गैर-कानूनी सीमापार प्रवसन के कारण

- दुर्गम भौगोलिक स्थिति, अवैध रूप से सीमापार प्रवसन में सहायक है।
- सीमा प्रबंधन एवं निगरानी व्यवस्था की कुशलता में कमी से वृद्धि।
- भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, कमज़ोर निगरानी एवं जाँच व्यवस्था लचर, प्रशासनिक व्यवस्था आदि मूल कारण हैं।
- बांग्लादेश की बढ़ती जनसंख्या, संसाधनों पर दबाव, धार्मिक और जातीय संघर्ष, बेरोज़गारी आदि।

भारत सरकार द्वारा गैर-कानूनी सीमापार प्रवसन से निपटने हेतु निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं–

प्रवसन को रोकने की रणनीति

- पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने का प्रयास
- ऐसे लोग मतदान के अधिकार से वंचित, जिसकी पहचान सुनिश्चित न हो।
- नागरिकों के डिजिटल डाटाबेस को साझा करने का प्रयास।
- बेहतर सीमा प्रबंधन के लिये तकनीकी उपकरणों का प्रयोग। सुरक्षा बलों को मुस्तैद किया गया है।
- सीमा पार करने वालों पर कड़ी निगरानी एवं कार्रवाई।
- डिजिटल पहचान पत्र आधार (UID) जारी किया जा रहा है।
- पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने का प्रयास

अतः यह कहा जा सकता है कि प्रवसन केवल एक जनसांख्यिकीय समस्या नहीं है बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं को भी प्रभावित करती है और इन सबसे देश की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है। इसलिये भारत को सीमापार निगरानी बढ़ाने, लेजर फेसिंग करने व फर्जी दस्तावेज़ों की समस्या से निजात पाने हेतु कठोर नियम। विनियमन बनाने की आवश्यकता। ध्यान रहे कि ये सभी उपाय मानव व मानवीयता को केंद्र में रखकर किया जाए।

2013

प्रश्न : अवैध धन स्थांतरण (Money Laundering) देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिये एक गंभीर सुरक्षा जोखिम होता है। भारत के लिये इसका क्या महत्त्व है और इस खतरे से बचने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये?

(200 शब्द, 10 अंक)

Money laundering poses a serious security threat to a country's economic sovereignty. What is its significance for India and what steps are required to be taken to control this menace?

उत्तर : धन शोधन अवैध रूप से प्राप्त धन (काला धन) को वैध बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आपराधिक आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है। मनी लांड्रिंग की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है– प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन।

यह प्रक्रिया किसी देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिये के लिये गंभीर सुरक्षा खतरा उत्पन्न करती है, जैसे–

धन शोधन का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- अपराध एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है
- आर्थिक विकास को धीमा करता है
- नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी संगठन का वित्त पोषण बढ़ता है
- उभरते बाज़ारों में भी एक समस्या है
- अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह और विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव
- कर चोरी को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है
- विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित करता है
- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा

भारत तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाला देश है। ऐसे में कालाधन एवं अवैध धन स्थानांतरण इसमें रुकावट पैदा कर सकता है, जो देश के हितों के प्रतिकूल होगा। भारत सरकार को इन खतरों से बचने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए–

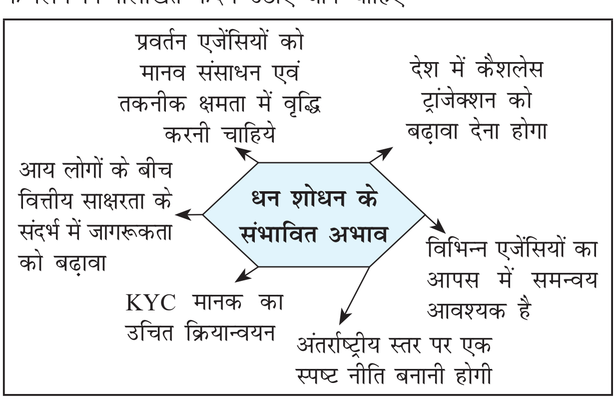

स्पष्टत: यह कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या के प्रभावी निजात हेतु वैश्विक एवं घरेलू दोनों ही स्तर पर डेटा साझाकरण तंत्र को मजबूत करना होगा, तभी प्रभावी परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में PMLA 2000 का प्रभावी क्रियान्वयन तथा FATF की सक्रियता अति आवश्यक है।

प्रश्न : 'सामाजिक संजाल स्थल' (Social Networking Sites) क्या होती हैं और इन स्थलों से क्या सुरक्षा उलझनें प्रस्तुत होती हैं?

(200 शब्द, 10 अंक)

What are social networking sites and what security implications do these sites present?

उत्तर : सामाजिक नेटवर्किंग साइट्स एक **ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या साइट्स** होती है जो किसी प्रयोगकर्ता को अपने व्यक्तिगत नेटवर्किंग में विचारों, गतिविधियों, घटनाओं और उनकी व्यक्तिगत रुचियों को बांटने की सुविधा देती है। उदाहरणस्वरूप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम आदि।

यह पूरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है, जहाँ विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। उपयोग को बहुविविध तरीके और तकनीकी निर्भरता ने 'सामाजिक संजाल स्थल' विभिन्न प्रकार के खतरों के प्रति सुमेध किया है–

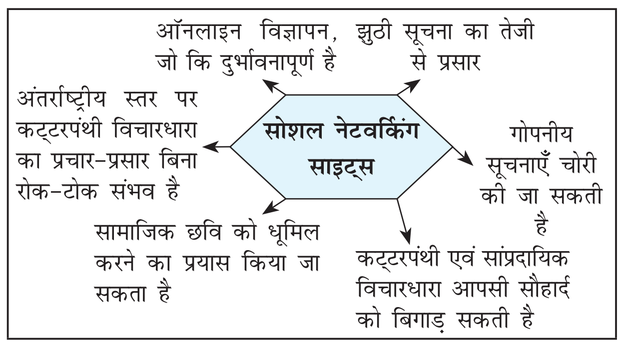

उपरोक्त समस्याओं से निपटने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं–

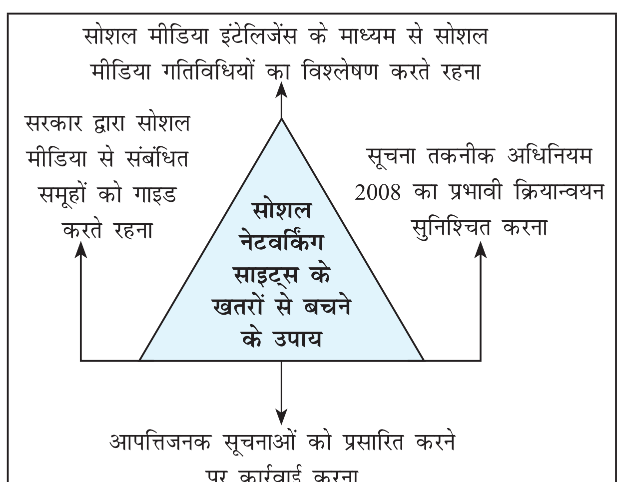

स्पष्टतः कहा जा सकता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक सिक्के के दो पहलू के समान है, जिसके निश्चित ही कुछ फायदे हैं, किंतु यदि सावधानीपूर्वक इनका उपयोग नहीं किया गया तो इनसे व्यक्तिगत जानकारी निजता प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। इस संदर्भ में और बड़े विनियमन बनाने व उनके क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

प्रश्नः कुछ रक्षा विश्लेषक इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम द्वारा युद्ध को अलकायदा और आतंकवाद से भी बड़ा खतरा मानते हैं। आप 'इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम युद्ध' (Cyber Warfare) से क्या समझते हैं? भारत ऐसे जिन खतरों के प्रति संवेदनशील है, उनकी रूपरेखा खींचिये और देश की उनसे निपटने की तैयारी को भी स्पष्ट कीजिये। (200 शब्द, 10 अंक)

Cyber warfare is considered by some defense analysts to be a larger threat than even Al Qaeda and terrorism. What do you understand by Cyber warfare? Outline the cyber threats which India is vulnerable to and bring out the state of the country's preparedness to deal with the same.

उत्तरः किसी एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त एवं संवेदनशील डाटा चुराना, डाटा को नष्ट व क्षतिग्रस्त करना एवं नेटवर्क संचार को बाधित करना साइबर वारफेयर कहलाता है। इसमें संबंधित देश द्वारा अपनी पहचान भी गोपनीय रखी जा सकती है हाल ही में ईरान, अमेरिका व भारत पर हुये साइबर हमले उज्वलंत उदाहरण हैं।

इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से आतंकी समूहों की तुलना करें तो जहाँ अलकायदा, इस्लामिक स्टेट जैसे विभिन्न आतंकवादी संगठन लक्षित जगहों पर हमला कर सीमित मात्रा में जन-धन की हानि पहुँचाते हैं, जबकि साइबर वारफेयर से किसी भी देश के समूचे तंत्र को पंगु बनाकर अफरा-तफरी भरा माहौल उत्पन्न कर आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न की जा सकती है।

भारत के संदर्भ में साइबर वारफेयर से संबंधित खतरे निम्नलिखित हैं-

साइबर वारफेयर से भारत को खतरे

- डिजिटल व्यवधान एवं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस का खतरा
- कई भारतीय सरकारी प्रतिष्ठानों में चीनी हैकिंग के हालिया मामले
- भारतीय वेबसाइटों पर भारत के लिये अपमानजनक संदेश लिखने के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।
- भारत विभिन्न प्रकार के कट्टरपंथी व उग्रवादी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं।
- बैंकिंग, यातायात, ऊर्जा आदि व्यवस्थाएँ भी इन खतरों के प्रति सुभेद्य हैं।
- डिजिटल घुसपैठ, साइबर अपराध की समस्या।

उपरोक्त समस्याओं से निपटने हेतु भारत सरकार के प्रयास

साइबर वॉरफेयर से निपटने के उपाय

- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन को नोडल एजेंसी बनाया गया।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 लाई गई।
- 2004 में कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (CERT-In) की स्थापना
- सुरक्षा पोर्टल में साइबर सुरक्षा नीतियों, प्रक्रियाओं आदि का प्रकाशन
- महत्त्वपूर्ण संगठनों को साइबर सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता बनाने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी की ओर प्रयास किया जा रहा है।
- सरकारी भवनों में नेटवर्किंग उपकरण IPV6 पर आधारित है, जो अत्यधिक सुरक्षित है।
- ग्रह मंत्रालय द्वारा अंतर मंत्रालय समिति का गठन

वर्तमान में साइबर वारफेयर के खतरों की बात काल्पनिक नहीं रह गई है। वर्चुअल आतंकवाद, संधमारी व सैन्य एवं आर्थिक महत्त्व की सूचनाओं के लीक होने जैसी घटनाओं ने साबित कर दिया है कि सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क में घुसपैठ की रोकथाम के पुख्ता प्रबंध नहीं करने का खामियाजा दुनिया में कई देशों के साथ साफ करने होंगे और इस संदर्भ में जागरूकता में वृद्धि भी अपेक्षित है।

प्रश्नः भारत के संविधान का अनुच्छेद 244, अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। उसकी पाँचवी सूची के कार्यान्वित न करने से वामपंथी पक्ष के चरमपंथ पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द, 10 अंक)

Article 244 of the Indian Constitution relates to administration of schedules area and tribal areas. Analyse the impact of non-implementation of the provisions of the fifth schedule on the growth of Left Wing extremism.

उत्तरः भारतीय संविधान के भाग-X में देश के अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के संबंध में विशिष्ट प्रावधान किये गए हैं। इस प्रयोजनार्थ अनुच्छेद 244 के तहत संविधान का एक पृथक् अनुबंध अनुसूची 5 (पाँचवीं अनुसूची) के रूप में बनाया गया है। यह 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम को छोड़कर 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं उत्थान के लिये 5वीं अनुसूचि में संबंधित राज्यों में निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं-

- 'जनजातीय सलाहकार परिषद' की स्थापना
  - जनजातियों के रीति-रिवाज़ संसाधन का प्रबंधन आदि से संबंधित निर्णय लेने हेतु।
- 'पेसा अधिनियम 1996 पारित किया गया
  - ग्राम सभाओं को शासन की एक प्रमुख इकाई के रूप में मान्यता प्रदान करने पर ज़ोर दिया गया।
- अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006
  - जनजातीय समुदायों के लिये एक महत्त्वपूर्ण अधिनियम था, जिसमें इन समुदायों के विभिन्न अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई थी।

उपरोक्त प्रावधनों की निम्नलिखित सीमाएँ रहीं

- दुर्भाग्यवश, पंचायती राजमंत्रालय दिशा-निर्देशों के बावजूद राज्यों द्वारा 'पेसा' का क्रियान्वयन संतोषप्रद तरीके से नहीं हुआ है।
- उपरोक्त अधिनियमों का तीव्र एवं प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो सका। इसमें जनजातीय समुदायों में असंतोष व आक्रोश उत्पन्न हुआ।
- 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपालों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति के बारे में जो वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जानी थी, उसे भी कुछ राज्यों ने गंभीरतापूर्वक नहीं लिया।

ऐसी परिस्थितियों का लाभ वामपंथी-चरपमंथी विचारधारा के लोग उठा रहे हैं तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कारक भी वामपंथी-चरमपंथ के विकास में सहायक हैं-

वामपंथ के विकास में सहायक कारक

- बड़े उद्योगों के निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों के विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्या।
- उनके परंपरागत एवं सांस्कृतिक पहचान संबंधी समस्या।
- चरमपंथियों द्वारा उनका हितैषी बनने का दिखावा एवं राज्य के प्रति दुष्प्रचार।
- जागरूकता के अभाव में चरमपंथियों को स्थानीय लोगों का समर्थन।
- दुर्गम भौगोलिक स्थिति एवं सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन न होना।

उपरोक्त समस्याओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं-

समस्याओं के समाधान

- इन क्षेत्रों में प्रशासन तंत्र को सुदृढ़ बनाकर
- पेसा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिये।
- अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट को यथोचित महत्त्व
- इन क्षेत्रों से अर्जित आय का अधिकतम भाग यहीं पर खर्च। मनरेगा सर्वशिक्षा आदि योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन।
- समर्पण एवं पुनर्वास नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
- मीडिया योजना के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाना
- सुरक्षा बलों एवं वामपंथ-चरमपंथी के बीच बेहतर संवाद कायम करना।

अत: कहा जा सकता है कि अनु. 244 को ध्यान में रखते हुये सरकार ने कई अधिनियम व विनियमन बनाए है किंतु अभी भी कई कमियाँ इनको संवैधानिक संरक्षण देने में बाधित हैं। अधिनियमों का पालन कर, वोटबैंक की राजनीति से ऊपर उठकर एक संवेदनशील प्रयास के रूप में हमें इन वर्गों के लिये प्रयास करना होगा, तभी इन्हें विकास व समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है।

प्रश्न : दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों तथा म्याँमार से लगी विशेषकर लंबी छिद्रिल (Porous) सीमाओं की दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ सीमा प्रबंधन से कैसे जुड़ी हैं?
How far are India's internal security challenges linked with border management particularly in view of the long porous borders with most countries of South Asia and Myanmar? (200 शब्द, 10 अंक)

उत्तर: अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उचित प्रबंधन किसी देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण घटक है। भारत लगभग 15,106 किमी. की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पड़ोसी राष्ट्रों से साझा करता है। नदी, नालों, घने वनों एवं उच्चावच में भिन्नता ने इन सीमाओं को अत्यधिक छिद्रित स्वरूप प्रदान किया है। ऐसे में म्याँमार, जो चार भारतीय राज्यों से सीमाएँ साझा करता है, भारतीय सुरक्षा के परिदृश्य में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है। भारत म्याँमार के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा 16 किमी. खुली है जिसका मुख्य कारण है- इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को आवागमन में कोई असुविधा न हो किंतु भारत के सामने कई चुनौतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं-

भारत-म्याँमार सीमा से संबंधित चुनौतियाँ

- कट्टरपंथी समूह
- अवैध आवागमन
- अवैध हथियारों की तस्करी
- घुसपैठ संबंधी गतिविधियाँ
- जाली नोटों की तस्करी
- सीमापार समर्पित आतंकवादी

उपरोक्त सभी विषय किसी भी राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा हेतु अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं और भारत जैसी बहुविध संस्कृति एवं समाज के लिये ये खतरे और भी गंभीर हो सकते हैं। जैसे-

अन्य गंभीर समस्या

- अवैध आव्रजन जनसांख्यिकी असंतुलन पैदा कर सकता है।
- नशीली दवाइयों और अवैध हथियारों की तस्करी ने कानून व्यवस्था से संबंधित चुनौतियाँ पैदा की हैं।
- जाली नोटों की तस्करी ने अर्थ व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

- इन गंभीर चुनौतियों के समाधान हेतु निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं। जैसे-
  - सीमा के साथ-साथ बाड़बंदी तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करना। सीमा के आसपास निवास कर रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान कर उन्हें विश्वास में लेना। पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाना।

यह ध्यान देने योग्य है कि म्याँमार की सीमा नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम एवं अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों से लगती है, जहाँ पहले से ही जनजातीय गुटों में संघर्ष व अशांति व्याप्त है। ये स्थिति बताई गई समस्याओं को और बढ़ावा देती है। हालाँकि 2015 में सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से कट्टरपंथी गुटों का सफाया किया है। किंतु फिर भी लेजर युक्त बॉर्डर फेसिंग को बढ़ावा देकर और बेहतर निगरानी की जा सकती है।